हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

28 फरवरी, 1986

खण्ड 1, अंक 10

अधिकृत विवरण

विषय सूची

शुक्रवार, 28 फरवरी, 1986

पृष्ठ सख्या

शोक, प्रस्ताव	(10) 1
तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10) 2
अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(10)24
निगम 15 के अधीन प्रस्ताव	(10) 79
नियमु 16 के अधीन प्रस्ताव	(10) 30
सदन की मेज पर रखे गए कागज पत्र	
(क) सचिव द्वारा	(10) 30
(ख) सिंचाई तथा बिजली मन्त्री द्वारा	(10) 30
समितियों की रिपोर्टस पेश करना –	
(1) पब्लिक अकांउटम् कमेटी की 23वीं रिपोर्ट	(10) 30
(2) एस्टीमेटस कमेटी की 18वीं रिपोर्ट,	(10)31
(3) कमेटी औन पब्लिक अंडरटेकिंग्ज की 20वीं तथा 21वीं रिपोर्टस	(10)31

(4) कमेटी औन दि वेलफेयर औफ शिडयूल्ड कास्टस एंड शिडयूल्ड ट्राडब्ज की 11वीं रिपोर्ट	(10)32
(5) कमेटी औन सबोर्डिनेट लेजिसलेशन की 17वी रिपोर्ट	(10) 32
(6) कमेटी ओन गवर्नमैंट अश्योरैसिज की 17वीं रिपोर्ट	(10)32
बिल्ज–	
(1) दि हरियाणा एप्रोप्रियंशन (न० 1) बिल, 1986	(10) 32
(2) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं ०2) बिल, 1986	(10) 34
(3) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (अमैंडमैंट) बिल 1986	(10)36
(4) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एंड वैलिडेशन) बिल, 1986	(10) 38
(5) दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमिशन (एडीशनल फंकशंज) अमैंडमैट बिल, 1986	(10) 39
(6) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैडमैंट) बिन, 1986	(10) 42
(7) दि हरियाणा पब्लिक प्रैमसिज एंड लैड (एविकशन एड रैंट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1986	(10) 43

(8) दि पंजाब विलेज कौमन लैड्ज (रैगुलेशन) हरियाणा अमैडमैंट बिल, 1986	(10) 45
(9) दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैट बिल, 1986.	(10) 47
(10) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटटजि (सैकिंड अमैंडमैंट) वित, 1986	(10) 50
(11) दि हरियाणा अर्बन (कन्ट्रोल आफ रैट एंड एविक्शन) अमैंडमैंट बिल, 1986	(10)53
(12) दि हरियाणा हाउसिग बोर्ड (अमैडमैट) बिल 1986	(10) 55
(13) दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट एँड वैलिडेशन) बिल, 1986	(10) 57
(14) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1986	(10) 59
(15) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलांउसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट विल, 1986	(10) 61
अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद	(10) 63

हरियाणा विधान सभा

शुक्रवार, 28 फरवरी, 1986

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर– 1, चण्डीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई । अध्यक्ष (सरदार तारा सिंह) ने अध्यक्षता की ।

शोक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब चीफ मिनिस्टर साहब ओबिच्यूरी रैफरेन्स पेश करेंगे ।

मुख्यमन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सदन संयुक्त पंजाब के भूतपूर्व विधायक श्री सूरजभान के 12 फरवरी, 1986 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है । श्री सूरजभान का जन्म 12 दिसम्बर, 1922 को हुआ था । वे व्यवसाय से शिक्षक थे । उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के सामान्य उत्थान के लिये कार्य किया । वे 1957 से 1962 तक रोहतक जिले के सांपला निर्वाचन क्षेत्र से पंजाब विधान सभा के सदस्य रहे । उनके निधन से देश एक अनुभवी विधायक की सेवाओं से वंचित हो गया है । यह सदन दिवंगत के शोक संत्पत परिवार के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना प्रकट करता है ।

श्री अध्यक्ष : आनरेबल मैम्बर्ज,' श्री सूरजभान, ज्वायंट पंजाब के फार्मर एम० एल० ए० के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे मैं अपने आपको एसोशिएट करता हूं । वे रोहतक डिस्ट्रिक्ट की एक किसान फैमिली से बीलोंग करते थे । वे एक अच्छे लीडर थे जिन्होंने अपने एरिया के लिए बहुत काम किया ।

आनरेबल मैम्बर्ज, मैं इस हाउस की डीप सिम्पथीज को बिरीवड फैमिली तक पहुंचा दूंगा ।

अब मैं हाउस से रिक्वैस्ट करता हूं कि डिपार्टिड सोल की मैमोरी में खड़े हो कर दो मिनट का साइलैन्स आबजर्व करें ।

(इस समय सदन ने दिवंगत नेता के सम्मान में खड़े हो कर दो मिनट का मौन धारण किया ।)

ताराँकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : मैम्बर साहेबान, अब क्वैश्चंज होंगे ।

Attempt made to hijack the bus of Hissar depot

***1119. Seth Ram Dass Dhamija :** Will the Minister for Transport **be** pleased to state—

(a) whether any attempt was made to hijack a bus of Hissar **depot** which was coming from Hissar to Chandigarh on the night of 30th May, 1985 ;

(b) if so, whether any incentive or promotion has been given to those courageous conductor and driver of the

said bus who saved the bus from being hijacked and the lives of the passengers ; and

(c) if the reply to part (b) above be in the negative, whether there is any proposal to give any incentive/promotion to the said employees ?

परिवहन राज्य मन्त्री (चौधरी चन्दा सिंह) :

(क) जी हां ।

(ख) व (ग) जी हां, बस के चालक को 2000/– रुपये तथा परिचालक को 500 रुपये उन द्वारा बहादुरी तथा साहस दिखाने के उपलक्ष में नकद पुरस्कार दिया गया है ।

सेठ राम दास धमीजा : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने उग्रवादियों से बस को व यात्रियों को ठीक बचा ले जाने के लिये 2000 रुपये चालक को और 500 रुपये परिचालक क्रो ईनाम के स्थ में दिए है । बस कों और यात्रियों को ठीक– बचा कर चालक ने और परिचालक ने एक बहुत बड़ा काम किया है । यदि उग्रवादी बस को ले जाते तो यात्री भी मारे जा सकते थे और बस को भी नुकसान हो सकता था । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इनके ईनाम छो सरकार और बढ़ाने की कोशिश करेगी क्योंकि जो ईनाम इन दोनों को दिया गया है, वह बहुत कम है?

चौधरी चन्दा सिंह : स्पीकर साहब, जो उचित समझा गया वह ईनाम उनको दिया गया है ।

श्री कंबल सिंह : स्पीकर साहब, मैं मुख्य मन्त्री जी से एक बात तो यह जानना चाहता हूं कि ड्राइवर और कन्डक्टर के ईनाम में फर्क क्यों है? दूसरे क्या यह बताएंगे कि कन्डक्टर को यह क्वैश्चन लगने के बाद ही 19 तारीख को ईनाम दिया गया है । जिस समय इन कर्मचारियों ने बहादुरी का काम किया था उस समय इन कर्मचारियों के बारे में सरकार ने कहा था कि इनको परोमोशन दी जाएगी । अव मैं मुख्य मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन कर्मचारियों को परोमोशन देगी?

चौधरी चन्दा सिंह : अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ 1 किसी को ईनाम बहादुरी का तगमा या कोई प्रशंसा पत्र मिलना बहुत बड़ी चीज हौती है । आपको भी पता है कि हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग का और दूसरी सरकारों के परिवहन विभाग का मूल्यांकन करने के बाद केन्द्र सरकार ने हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग को प्रथम घोषित किया है । हमारे अधिकारियों ने जैसा उचित समझा वैसा काम इस दिशा में किया है । मैं भाई कंवल सिंह की इस बात को मानता हूं लि इन कर्मचारियों को ईनाम देने में देरी हो गई है । प्रजातन्त्र में जिस तरह से कागज चलते हैं उसके बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं । जगह जगह कागज घूम कर आफिसर के पास जाता है । जब कोई केस शुरू होता है तो पहले वह क्लर्क के पास जायेगा, फिर असिस्टैन्ट के पास जाएगा, फिर सुप्रिनटैंडैंट के पास जाएगा और इस तरह होते हुए अम्बर

सैक्रेटरी, सैक्रेटरी तथा कमिशनर तक पहुंचता है । इन कर्मचारियों को ईनाम देने में जो देरी हुई है वह इसी वजह से हुई है । जहां तक परोमोशन की बात है उसके बारे में मैं यह कहूंगा कि हमारे नियमों में इस तरह की आउट आफ टर्न की परोमोशन का प्रावधान नहीं है । इसी वजह से इन कर्मचारियों को वह पुरस्कार दिया गया है । ड्राईवर तो सारी उम्र ड्राईवर ही रहता है । कुछ ड्राइवरों को हम यार्ड मास्टर जरुर लगा देते हैं । वह भी उस सूरत में जब कोई ड्राइवर अंगहीन हो जाए । जैसे यदि कोई डाक्टर सर्जन है तो उसका ज्यादा उपयोग आप्रेशन में ही होता है । इसी प्रकार सै अच्छा चालक वही है जो अच्छे चालक का काम करे । हमारे चालकों का वेतन दूसरी जगह के चालकों से बेहतर है । हमारा एक एक ड्राइवर ओवर टाईम लगा कर एक महीने में 3–3 हजार रुपये तक लेता है । उनका यह वेतन हमारे सैक्रेटरी साहेबान या मन्त्रिगण के बराबर है । मैं तो यह भी समझता हूं कि ड्राईवर विधायक कंवल सिंह जी से भी ज्यादा पे लेते हैं ।

श्री केवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, कन्डक्टर मेरी कान्स्टीच्यूंसी का है । एक तो मेरा एतराज यही है कि उस बेचारे को ईनाम के सिर्फ 500 रुपये मिले जबकि उसकी बहादुरी बिल्कुल ड्राईवर के बराबर की थी । इस बारे में बेशक आप पुलिस रिपोर्ट से पता करवा लें । दूसरे क्या यह सत्य नहीं कि डी० आई० जी० साहब ने जांच करने के बाद यह कहा था कि यदि ये दोनों कर्मचारी परोमोशन चाहते हैं तो परोमोशन दे दी जाये । अध्यक्ष

महोदय, रूल में ऐसा भी कहीं नहीं है कि परोमोशन नहीं दी जा सकती । एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इन दोनों कर्मचारियों के ईनाम में जो अन्तर है क्या उसको पूरा करेंगे दूसरे अगर वे कर्मचारी परोमोशन चाहते हो तो क्या सरकार उनको परोमोशन देने के लिये तैयार है?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, उस दिन बस रात को हिसार से चण्डीगढ़ की तरफ आ रही थी । जब बस कैथल रुकी तो वहां से चार आदमी और सवारियों के साथ बस में बैठे । इन आदमियों ने पहले पेहवा तक की टिकट ली । पेहवा तक इन लोगों को बस को अगुवा करने का मौका नहीं लगा । फिर इन चारों लोगों ने अम्बाले तक की टिकट ले ली । अम्बाला से कोई 12 किलोमीटर पहले वे ड्राइवर के बिल्कुल पास रिवाल्वर तान कर खड़े हो गए । फिर उन्होंने ड्राईवर को कहा कि बस को पंजाब की साइड में पं जाब के बार्डर तक ले चलो । यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि उस समय ड्राईवर ने बड़ा भारी हौंसला किया और बड़ा भारी साहस दिखलाया । ड्राईवर ने एकदम बस को ब्रेक मारे, चाबी निकाली और बस की लाईट बन्द करके एकदम बस से उतर करके साथ लगते खेतों में घुस गया । इसमें कोई दो राय नहीं है कि कन्डक्टर का भी इसमें हौसला है लेकिन जितना साहस या जितनी बहादुरी ड्राईवर ने दिखाई उतना काम इसमें कन्डक्टर का नहीं था । बस को मोड़ने का या रोकने का मेन काम ड्राईवर का था । फिर बस को बचाने के लिये चाबी

साथ लेकर भाग जाने का यह बहुत बड़ा काम ड्राईवर का ही था । इसलिये हमने ड्राईवर को दो हजार रुपये और कन्डक्टर को 500 रुपये ईनाम के दिये हैं । कन्डक्टर को 500 रुपये ईनाम के इसलिये दिए कि उसने ऐसे समय में अपनी हिम्मत नहीं हारी । जहां तक परोमोशन का सवाल है यदि वह कायदे के मुताबिक बन सकती है तो वह भी आउट आफ वे जाकर उनको देने की कोशिश करेंगे । चौधरी चन्दा सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि ड्राईवर को परोमोशन देकर कहां ले जाएंगे । यदि कोई पढ़ा लिखा ड्राईवर कन्डक्टर बनना चाहे तो उसे हम कन्डक्टर बना सकते हैं या वह कोई मैकेनिकल साइड का काम जानता है तो उसे मैकेनिक बना सकते हैं या फिर उसको थोड़ा बहुत ईनाम और दे सकते हैं और प्रशंसा पत्र दे सकते हैं । चौधरी चन्दा सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि सबसे बडी बात बहादुरी की होती है । बहादुरी का ईनाम किसी को मिल जाये यह कोई छोटी बात नहीं है । हमारी पूरी हमदर्दी उनके साथ है । उनकी बहादुरी की हम प्रशंसा करते हैं और आगे भी करते रहेंगे ।

श्री भले राम : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मन्त्री जी ने बताया है कि कैथल से 4 आदमी बस में बैठ गए थे । मैं जानना चाहूंगा कि क्या इन चारों आदमियों को गिरफतार कर लिया गया है? दूसरे मैं यह भी जानना चाहूंगा कि इन चारों आदमियों के पते क्या क्या हैं?

श्री अध्यक्ष : यह तो बहुत पुरानी बात हो चुकी है ।

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि वे कहां के रहने वाले थे और वे कौन थे । वे रात को अन्धेरे का 'लाभ उठा कर भाग गए लेकिन किसी का कोई नुकसान भी नहीं कर सके ।

श्री कंवल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह भी सत्य नहीं है कि जब उग्रवादियों ने ड्राईवर का गला पकड़ा तो कन्डक्टर उसके नजदीक ही खड़ा था । इस कन्डक्टर ने एक उग्रवादी को चांटे भी मारे । इस बारे में रिपोर्ट से पता लगाया जा सकता है । मैं यह नहीं कहता कि इस केस में ड्राईवर ने बहादुरी नहीं दिखाई लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि कन्डक्टर ने दो चांटे उस उग्रवादी को मारे जो ड्राईवर के पास खड़ा था । उसके बाद उस उग्रवादी ने कन्डक्टर के माथे पर पिस्तौल मारा । ड्राईवर और कन्डक्टर दोनों के प्रैजैन्स आफ माईन्ड से ही यह सारा काम बना था । मैं मुख्य मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि बाकायदा दोबारा जांच करवा लें । यदि उस कन्डक्टर का बराबर का हिस्सा रहा हो तो क्या फिर सरकार उसको बराबर का ईनाम देगी । (विज) यदि परोमोशन हो सकती है तो कन्डक्टर को इन्सपैक्टर के पद पर परोमोशन दी ' जा सकती चौधरी भजन लाल हम कब कहते हैं कि कन्डक्टर का काम बहादुरी का नहीं रहा । काम उसका भी बहादुरी का रहा है लेकिन जितना रोल उस समय ड्राईवर का था उतना रोल कन्डक्टर का नहीं था । इस बात को आप मानेंगे ही । इस बात को ध्यान में

रखते हुए ही ईनाम का अन्तर रखा गया था । लेकिन फिर भी हम रिपोर्ट मंगा कर देख लेंगे और यदि ईनाम देने की आवश्यकता महसूस हुई तो 500 रुपये और ईनाम दे सकते हैं । यह कोई खास बात नहीं है ।

श्री नेकी राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के नेता से यह जानना चाहता हूं कि इस सदन की राय को देखते हुए और सदस्यों की चिन्ता को देखते हुए क्या वे उनके कैश एवार्ड और परोमोशन के लिये पुनः विचार करेंगे ।

चौधरी भजन लाल : जरूर करेंगे ।

चौधरी हुक्म सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सी ० एम ० साहब से एक बात कहना चाहूंगा । शायद आपके भी ध्यान में होगा कि पिछले साल 'हमारे डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी वेद पाल के ऊपर करनाल के पास उग्रवादियों ने हमला किया था । उसमें एक ड्राईवर तो बे चारा मर गया था ओर कांस्टेबल गनमैन घायल हो गया था । उसको जो एवार्ड दिया गया था, क्या उसको भी रिव्यू करने की कोशिश करेंगे?

Mr. Speaker : That is a separate question.

यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री फतेह चन्द विज, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Veterinary hospital in Gurgaon constituency

***1118. Chaudhri Dharam Bir Gauba :** Will the Minister of State for Animal Husbandry be pleased to state—

(a) the names of villages of Gurgaon Constituency in which foundation stones for the construction of veterinary hospitals were laid during the last two years togetherwith the latest position thereof ; and

(b) the time by which the said hospitals are likely to be completed and necessary equipment provided therein ?

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) कोई नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अध्यक्ष महोदय, इस बारे में मैं थोड़ा और कहं दूं । गाबा साहब ने छॉ थी कि क्या वहां पर पशुओं के हस्पताल के लिये कोई नींव रखी गयी थी लेकिन मैं हाउस को यह बता दूं कि वह नींव वैटरनरी डिस्पैन्सरी के लिये थी न कि हस्पताल के लिये । एक तो गांव नाथूपुर में और दूसरे तिगड़ा में नींव पत्थर रखा गया था । अध्यक्ष ' महोदय, इसके लिये ग्राम पंचायत को जमीन देनी होती है और भवन भी बनाकर ग्राम पंचायत को ही देना होता है । इन्होंने न तो वहां पर जमीन ही दी और न वहां पर भवन दिया । इसके बावजूद हमने नाथूपुर में एक जगह डिस्पैन्सरी खोल दीं है । तिगड़ा के लिये हम इनको यह कहेंगे कि पंचायत

से जमीन दिलवाये और भवन भी वहां पर बनवा कर दे ताकि हम वहां पर भी डिस्पैन्सरी खोल कर चालू कर सकें।

चौधरी धर्मबीर गाबा : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी जानकारी के लिये यह बता दूं कि वहां पर जुलाई, 1985 में डेढ़ एकड़ के करीब जमीन डिपार्टमैंट को ट्रांसफर हो चुकी है । स्पीकर साहब, यह यकीन दिलाया गया था कि जमीन ट्रांसफर कर दी जाये तो हम वहां पर हस्पताल बना देंगे। यह पब्लिक जलसे के अन्दर चौधरी लाल सिंह ने अनाउन्स किया था, क्या उस बारे में जवाब देंगे?

पशुपालन राज्य मन्त्री (चौधरी लाल सिंह) : जनाब वैसे तो सी ० एम ० साहब जवाब दे रहे हैं लेकिन मैं भी असलियत' आपको बता दूं । मैं वहां पर गया था । मेरे दोस्त गाबा साहब मुझे चण्डीगढ से ले गये कि मेरे हल्के में चलिये। जब हम गांव नाथूपुर में गये तो इन्होंने यह क्या कि किसी– तरीके से यहां पर पत्थर रख वे । मैंने इनको यह कहा कि मैं तो सरकारी जमीन पर ही पत्थर रख सकता हूँ । क्योंकि यह सरकारी जमीन नहीं है, इसलिये, मैं यहां पर पत्थर नही रखूंगा । इन्होंने यह कहा किं नहीं जी, आप मुझ पर रहम करो । आप यहां पर पत्थर रख दो, मैं दो हफ्ते के अन्दर अन्दर यह जमीन गवर्नमैंट के नाम ट्रांसफर करवा दूंगा । तब मैंने कहा कि अगर बह दो हफ्ते के अन्दर ट्रांसफर नहीं हुई तो कहने लगे कि हम हस्पताल नहीं लेंगे । तो मैंने उसी वक्त पत्थर रख दिया 1 आप सरकार की फुर्ती

देखिये, सरकार का काम कितनी तेजी से किया गया कि वहां पर उसी दिन डाक्टर बैठा दिया गया और दवाईयां भी रख दी गयीं । मौके पर यह पब्लिक के सामने कहा गया कि इतना चमत्कारी मन्त्री तो हमने कभी देखा ही नहीं । सरकार का यह नियम है कि पंचायत ही इसके लिये जमीन और बिल्डिग देती है । लेकिन इसके लिये मैंने इनको यह कहा कि जव चौधरी भजन लाल जी का हुक्म है तो आपको डाक्टर और दवाइयां जरुर दूंगा । आज तक उस नाथूपुर गांव में न तो जमीन गवर्नमैंट के नाम ट्रांसफर हुई है और न ही हमें बिल्डिग मिली है । एक दूसरे गांव तिगड़ा में भी मैंने इसी तरह से पत्थर रखा है । तिगड़ा में जब हम गये तो ये कहने लगे कि गांव देख लीजिये । गांव तो वाकई पड़ा है, मैं यह मानता हूं । मैंने इनके कहने पर 4– 8– 1984 को तिगड़ा में नींव पत्थर रख दिया । पहले जब मैंने वही बात दोहराई तो कहने लगे कि आप पत्थर तो रखें । मैंने यह कहा कि सरकार डाक्टर नहीं देगी जब तक जमीन का इन्तकाल विभाग के नाम नहीं हो जायेगा । इसलिये हमने (क्) और (ख) का जवाब ''न' ' में दिया है । असल में यह हस्पताल का पत्थर नहीं है । यह तो स्टाकमैन सैन्टर का पत्थर है । इनका सवाल पशु हस्पताल के बारे में है, जिसका हमने जवाब दिया है कि कोई नहीं और प्रश्न नहीं उठता क्योंकि वहां पर स्टाकमैन सैन्टर खोलने के लिये नींव पत्थर रखे गये हैं ।

चौधरी धर्मबीर गाबा : स्पीकर साहब, मेरी एक अर्ज है । मैं एक बात सरकार से पूछना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने गवर्नमैंट की इंस्ट्रक्शन्ज के बावजूद क्या यह नाजायज पत्थर रख दिया है । (व्यवधान व शोर) पहले तो इन्होंने यह कहा कि हमारे ऊपर रहम करा है । इसका मतलब तो यह हुआ कि यह हमारे ऊपर रहम करते हैं । This is a very much insult not only to me, but to all the members of the House. He must withdraw the words.

श्री अध्यक्ष : वह तो हंसी की बात थी । Please do not feel touchy.

चौधरी धर्मवीर गाबा : क्या गवर्नमेंट मन्त्रियों को इस बात के लिये अलाऊ करेगी कि वे गलत काम करें, अगर कोई जगह गलत है, वहां पर भी पत्थर रखें । वहां पर ऐसी कोई बात नहीं है । मैं यह दावे के साथ कह सकता नष्ट कि बह जमीन गवर्नमैंट के नाम पंचायत ने कर दी है, यी गलत ध्यानी क्यों कर रहे हैं? (बिघ्न)

चौधरी फूल चन्द : स्पीकर साहब, अभी मुख्य मन्त्री जी ने यह जवाब दिया है कि पंचायतों को ही जमीन और बिल्डिंग बना कर देनी होती है । जिन पंचायतों के पास आमदनी के साधन नहीं हैं, वे बिल्डिंग बनाकर नहीं दे सकतीं । क्या सरकार ऐसे स्थानों पर जहां पंचायत के पास आमदनी के साधन नहीं हैं, डिस्पैन्सरीज के लिए खुद बिल्डिग बनाकर देगी? जैसे मनुष्यों के

लिये डिस्पैन्सरियां हैं, उनको तो किराये पर बिल्डिंग लेकर भी सरकार खोल देती है या फिर बिल्डिग सरकार खुद बनाकर दे ती है, वैटरनरी डिस्पैन्सरियों के साथ यह डिस्पैरिटी क्यों है?

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, जहां तक गांव में बिल्डिग बना कर देने का ताल्लुक है यह तो गांव ही दे गा । पशुओं के मे ले जो लगते हैं, उनसे जो आमदनी होती है, उसका हिस्सा पंचायत समिति को दिया जाता है । पंचायत समितियां उस पैसे को गांव में डिस्पैन्सरियां बनाने के लिये या स्टाकमैन सैन्टर बनाने के लिये खर्च करती हैं । हम पंचायत समितियों को मेलों की आमदनी का आधा हिस्सा देते हैं । पंचायत समितियां उस आधे पैसे से भवन बना कर देती हैं । सरकार अपनी तरफ से इसके लिये पै सा नहीं देती है । एन ० आर ० ई ० पी ० स्कीम के तहत जो कैटल वैल्फेयर फंड है, कैटल्ज की नसल सुधारने के लिये हमारी जो स्कीम है, उस स्कीम के तहत गांव में हस्पताल बनाने के लिये सरकार सहायता करती है ।

तारांकित प्रश्न संख्या न ० 1129

यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, मास्टर शिव प्रशाद, सदन में उपस्थित नहीं थे ।

Hostels for working women

***1082. Shri Nihal Singh and Shri Fateh Chand Vij :** Will the Chief Minister be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct hostels for the working women at each district headquarter in the State ; and

(b) if so, the details of steps, if any, taken in this regard ?

उद्योग मन्त्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया) :

(क) जी ही ।

(ख) विवरण सदन के पटल पर रखा है ।

विवरण

कामकाजी महिला आवास योजना, केन्द्रीय सरकार की एक स्कीम है. जो कि राज्य में कार्यरत ऐच्छिक संस्थाओं/ नगरपालिकाओं के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है । स्कीम के परिपालन हेतु राज्य सरकार ने राज्य के सभी उपायुक्तों को ऐच्छिक संस्थाओं के माध्यम से तथा स्थानीय स्वशासन विभाग को नगरपालिकाओं के माध्यम से आवश्यकतानुसार केस भेजने के लिये आग्रह किया । जिसके फलस्वरूप रैडकास सोसाईटीज द्वारा 9 जिला मुख्यालयों पर (फरीदाबाद, सोनीपत, गुड़गांव, जीन्द, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा रोहतक तथा अम्बाला) तथा नगरपालिकाओं द्वारा 3 स्थानों (रिवाड़ी, भिवानी तथा करनाल) में कामकाजी महिला आवास के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए । 4 होस्टल फरीदाबाद, सोनीपत,

गुड़गांव तथा अम्बाला में निर्माण कार्य पूर्ण होने उपरान्त कार्यरत हैं । 7 स्थानों पर रिवाड़ी, करनाल, भिवानी, जीन्द, कुरुक्षेत्र, सिरसा तथा रोहतक में भवन निर्मार्णाधीन हैं तथा हिसार में कामकाजी महिला आवास का केस स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजा हुआ है ।

2. राज्य सरकार का विचार है कि कामकाजी महिलाओं के होस्टल? पहले जिला मुख्यालयों पर स्थापित किये जायें तत्पश्चात् राज्य के बड़े स्थानो परमावश्यकता– नुसार स्थापित किये जायें । यह तभी हो सकता है जब कि इन भवनों के निर्माण हेतु प्रस्ताव ऐच्छिक संस्थाओं द्वारा प्रेक्षित किये जायें क्योंकि स्कीम के, अनुसार भवन की कुल लागत का 10 प्रतिशत खर्च संबंधित ऐच्छिक संस्था/नगरपालिका द्वारा वहन किया जाना है जबकि 15 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा तथा शेष 75 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन किया जाना है ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, बहिन जी ने जबाब में यह कहा कि ''जी हां ।'' मैं यह जानना चाहता हूं कि कामकाजी महिला आवास में कौन–कौन सी औरतें या लड़कियां रह सकती हैं । तलाकशुदा, पढ्ने वाली औरते/लड़किया, काम करने वाली या सड़क पर रहने वाली या मैरिड औरतें भी रह सकती है ?

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : स्पीकर साहब, जो लड़कियां सर्विस करती हों, विशेष रूप से जो लड़कियां शादी को

बाद छोड़ी गयी हों, अनमैरिड हों या किसी वजह से दु:खी हों उनके लिये यह होस्टल्ज बनाये जा रहे हैं । इनमें कामकाजी महिलाओं के साथ ही वे लड़कियां भी रखी जा सकती हैं जिनकी है जिनकी का पीरियड एक वर्ष हो और वे पढ़ती हों ।

Polytechnic college in N.I.T. Faridabad

***1135. Shri A.C. Chaudhry :** Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether any decision was taken to open a Polytechnic for boys in N.I.T. Faridabad and also to upgrade Y.M.C.A. Faridabad to 5 years degree college in engineering ; if so, the latest position in this behalf ?

परिवहन राज्य मन्त्री (चौधरी चन्दा सिंह) : एन ० आई ० टी० फरीदाबाद मे लड़कों का पोलीटैकनिक खोलने तथा वाई० एम ० सी ० ए ० इंजीनियरिंग संस्थान, फरीदाबाद को स्नातक स्तर संस्था में– बदलने के प्रस्तावों का कुछ समय पूर्व सूत्रपात किया गया था परन्तु भारत सरकार ने इन प्रस्तावों का समर्थन नहीं किया ।

श्री ए ० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने बताया है कि पोलीटैकनिक फार ब्वायज, फरीदाबाद टाउनशिप, हरियाणा सरकार ने तो मन्ज्र किया लेकिन सैन्टर ने इसको ऐप्रूवल नहीं दी । मैं सरकार से यह जानना चाहता है कि किन कारणों की वजह से यह पोलीटैकनिक मन्जूर नही किया गया जबकि फरीदाबाद दुनिया में दसवें नम्बर का इंडस्ट्रियल कम्पलैक्स है

जिसमें सूई से– लेकर जहाज तक बनता है अगर वहां के लिए पोलीटैकनिक खोलने का क्राईटेरिया नहीं है तो फिर क्या क्राईटेरिया है ?

चौधरी चन्दा सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सच है कि फरीदाबाद हमारा सब से बड़ा औद्योगिक नगर है । फरीदाबाद में जो वाई० एम० सी० ए० है यह जर्मन पैट्रन पर है और इंडस्ट्रियलिस्टस के पूरे परामर्श से खोला गया । स्पीकर साहब, जितने भी लड़के वहां पढ़ते हैं उनको वहां से निकलने से पहले ही उद्योगपति अपने उद्योगों में स्थान दे देते हें । जहां तक इंजीनियरिग कालेज को अग्ग्रेड करने और लड़कों का पोलीटैकनिक खोलने की बात है इसके बारे में मैं कहना चाहता हुं कि जब हरियाणा सरकार ने उत्तर क्षेत्रीय कौंसिल को यह प्रस्ताव भेजा तो हरियाणा सरकार को यह मशविरा दिया गया कि वाई० एम ० सी० ए० को इसी तरह रहने दिया जाए और पोलीटैकनिक के लिए यह कहा गया कि फरीदाबाद में लड़कियों का पोलीटैकनिक खोलें । उत्तर क्षेत्रीय कौंसिल के चेयरमैन ने यह सुझाव हरियाणा गवर्नमैंट के प्रस्ताव पर दिया । उसके ऊपर विचार किया गया और हरियाणा गवर्नमैंट ने सिद्धान्त रूप मे वीमैन पोलीटैकनिक का सुझाव मान लिया और जब सारी औपचारिकताएं पूरी' हो जाएंगी तो वीमैन पोलीटैकनिक खोल देंगे । स्पीकर साहब, यह जो वाई ० एम० सी० ए ० है यह बहुत उपयोगी है ।

इस पर हरियाणा गवर्नमैंट को फख्र है और वहां के जहीन विधायक पर भी हमें फख्र है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी सब से ज्यादा नम्बर ले गए है (हंसी)

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, जनरल नार्म रखा हुआ – है कि सवाल पूछने में कोई कौम्पलीकेशन न हो और डबल न पूछा जाए । मैं मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि फरीदाबाद जैसे प्रोमिसिग इंडस्ट्रियल टाउन जिसमें भई से लेकर जहाज तक बनता है क्या कारण है कि वहां के लिए पोली– टैकनिक फार ब्वायज खोलने का औचित्य नहीं माना गया? वाई० एम० सी० ए० के बारे में मैं दोबारा पूछ लूंगा । अगर मैं दोनों को मिक्स–अप करूंगा तो जवाब मुझे भी समझ नहीं आएगा और आप भी कहेंगे कि डबल सवाल पूछ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष : समझ आपको सब कुछ आ रहा है ।

चौधरी चन्दा सिंह : अध्यक्ष महोदय, जो पोलीटैकनिक और दूसरी तकनीकी शिक्षा की संस्थाएं हैं उनकी सारी औपचारिकताएं और उपयोगिता गवर्नमैंट आफ इंडिया से सलाह मशविरा करके और उनकी अनुमति लेकर बोली जाती हैं । कितने संसाधन हैं, कितनी क्षमता है और उनकी कितनी उपयोगिता है इसके' बारे में हमारी सरकार भी सोचती है और गवर्नमैंट आफ इंडिया भी हमको समय समय पर डाय– रेक्शन देती है । स्पीकर

साहब, उन्होंने ब्वायज पोलीटैकनिक की बजाय वीमैन पोलीटैकनिक के लिए कहा है और इस बारे में बातें चल रही हैं । फरीदाबाद के लिए कितने डिप्लोमा होल्डर्ज चाहिए, इसके बारे में मैं बता देता हूं कि हमारी– स्टेट में चार पोलीटैकनिक सरकार के हैं जिनमें सारे इंजीनियरिंग को सबजैक्ट्स पढाये जाते हैं और दो प्राईवेट पोलीटैकनिक रोहतक में है । स्पीकर साहब, अभी फरीदाबाद जिले में फरीदाबाद के बिल्कुल करीब मेवात में एक लड़कों का पोलो– टैकनिक खोलने का सरकार का विचार है । मुख्य मन्त्री ने उसकी घोषणा भी की है और सिद्धान्त रूप मे उत्तर क्षेत्रीय कौंसिल ने उसको मान्यता भी दे दी है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बात यह है कि जैसी लम्बी सप्लीमैंटरी होगी वैसा लम्बा जवाब होगा ।

चौधरी चन्दा सिंह : स्पीकर साहब, उत्तर क्षेत्रीय कौंसिल के जो एडवाइजर हैं उन्होंने सुझाव दिया है कि –अब तक जो मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल सबजैक्ट्स पढ़ाए जाते थे इनके अलावा नए सबजैक्ट्स भी पढ़ाए जाएं क्योंकि अब ये घिसे– पिटे होर गए हैं । स्पीकर साहब, अब हम जो पोलीटैकनिक पर्टिकुलरली मेवात में– खोलने जा रहे हैं, उसमें और सबजैक्ट्स भी पढ़ाएंगे । हमारा जो सर्जीकल इंस्टी– व्यूशन है उसको भी हम नए सबजैवट्स के साथ अपग्रेड करने जा रहे हैं जिससे कि हमारे प्रदेश के बच्चे केवल इसी प्रदेश में न रहें बल्कि प्रदेश के बाहर भी जाने की क्षमता रखें । हमारे प्रदेश की जितनी

आवश्यकताएं हैं उसके मुताबिक हम बच्चे तैयार करते हैं । स्पीकर साहब, मेवात में जो पोलीटैकनिक खोला जाएगा उसमें ये सबजैक्ट्स भी और दूसरे सबजैक्ट्स भी, जिनकी आज आवश्यक्ता है, रखा जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : ठीक हे । खूब तैयारी करके आए हैं ।

श्री ए ० सी ० चौधरी : स्पीकर साहब, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मेरे सवाल का जवाब आ गया है?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने सारे हरियाणा की फै क्ट्स ए ण्ड फिगर्ज आपको बता दी हैं । **श्री ए ० सी० चौधरी :** स्पीकर साहब, मैं फिर अपनी उसी बात पर –आ जाता हूं । मेरा बड़ा स्पेसिफिक क्वैश्चन था कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल कौम्पलैक्स जिसके लिए पोलीटैकनिक की मांग की गई था, किन कारणों से इसे नहीं माना गया? जो मैं समझ पाया हूं कि सरकार पैसे को कमी की वजह से खर्च नही कर पा रही है

श्री अध्यक्ष : पैसे की बात नहीं हैस ।

श्री ए० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, मेरा तो ख्याल है कि दुनिया में कोई भी होश इन्सान नहीं होगा जो फरीदाबाद जैसे शहर के लिए ब्वायज पोलटैकनिक को रिफ्यूजज करना – मुनासिब समझेगा। उन्होंने ब्वायज के जगह गर्ल्ज कर दिया । क्या मन्त्री महोदय बताने की कृपा करेंगें कि उस पोलीटैकनिक में ब्वायज एण्ड गर्ल्ज दोनों को अलाऊ करेंगे?

श्री अध्यक्ष : चौधरी साहब, यह डिपार्टमैंट मेरे पास भी रहा है । सैन्टर वाले इस मामले में बड़े माइजर हैं । हमने भी पोलीटैकनिक के लिए बड़ी कोशिश की थी लेकिन वे हां करते 'ही नहीं हैं । बाकी जो ग्राउंडज हैं सी ० एम ० साहब बता दे गे ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी नहीं कि इतना बड़ा इंडस्ट्रियल टाउन हो तो उसमें इंजीनियरिंग कालेज हो । आप जानते हैं कि बहुत से ऐसे टाउंज है जहां एक भी कालेज नहीं है । लेकिन श्री ए० सी० चौधरी जानते हैं कि पोलीटैकनिक में इंजीनियरिंग का चार साल का कोर्स है और फरीदा– बाद में वाई ० एम ० सी ० ए ० कालेज है उसका भी चार साल का कोर्स है । बल्कि मैं यह कहता हूं कि यह कुछ थोड़ा सा ज्यादा बै टर है तो गल्त नहीं होगा । इस में तीन साल का कोर्स कराकर एक साल प्रैक्टिकल कोर्स कराते हैं और ज्यों ही प्रैक्टिकल कोर्स करके नौजवान लड़का निकलता है तो उसको फौरन नौकरी मिल जाती है, नौ करी देने वाले इन लड़कों की तलाश करते रहते हैं और कहते हैं कि आप हमारे पास आकर नौकरी करो । स्पीकर साहब, आज इस इंस्टीच्यूट द्वारा पढ़ा हुआ कोई लड़का बे कार नहीं है । फैक्टरी वाले उन लड़कों को कहते हैं कि आप हमारे पास आकर सर्विस करो क्योंकि उन लड़कों को प्रैक्टिकल नोलिज होती है । बहां का पढ़ा हुआ लड़का प्रैक्टिकल आदमी बन जाता है । दूसरी बात यह है कि जैसा चन्दा सिह जी ने बताया है स्पीकर साहब, एक

पोलीटैकनिक कालेज मूरथल में मन्जूर हो गया है और छः मार्च को श्री अर्जुन सिंह उसकी आधारशिला रखेंगे। इसी तरह से मेवात एरिया में उटावड मैं एक कालेज खोलने की मन्जूरी मिल गई है मौर हम वहां बहुत जल्दी पोलीटैकनिल कालेज खोलने बना रहे हैं ताकि प्रदेश के ज्यादा से ज्यादा लोगों को अच्छा काम मिल सके ।

श्री ए ० सी ० चौधरी : स्पीकर साहब. मुख्य मन्त्री, महोदय ने बजा तौर पर फरमाया कि वाई ० एम ० सी ० ए ० एक ऐसा इंस्टीच्यूशन है जिसमें तीन साल पढ़ाने के बाद एक साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं । मैं इस ऐक्ट को डिनाई नहीं करता । मेरा मेन मुद्दा यह णै कि तीन साल का कोर्स तो डिप्लोमा के तौर पर दिया जाता हैं और पाच सात्र का कोर्स डिग्री के तौर पर दिया जाता है । यह सैडविच कोर्स है । इससे बजा तौर पर स्टूडैट्स को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो मिलती ही है लेकिन जब वे क्वालिफाई करते हैं तो उस वक्त उनको न तो डिप्लोमा वाली तनख्वाह मिलती है और न डिग्री वाली और इंडस्ट्रियलिस्ट्स अपनी ट्रेनिंग देने के बदले में उनका शोषण करता है । उनको कम तनखाह पर रखा जाता है और यह कहकर कम तनख्वाह पर वह रखता है कि यह कोई डिग्री तो है नहीं । तुम तीन साल वाले हो । मैंने सवाल इसलिए किया था कि इसको अपग्रेड करने का फैसला स्टेट गवर्नमैंट ने किया तो स्टेट गवर्नमैंट की जिम्मेदारी थी कि इसकी पैरवी करके इसको मान्यता दिलवाती । जहां तक पोलीटैकनिक

का ताल्लुक है, स्पीकर साहब, अगर उटावड जैसी जगह में पोलीटैकनिक बनता है तो मुझे खुशी है । भगवान उनको शक्ति दे कि वे उटावड वाले चार और खोल लें । स्पीकर साहब, मैंने यह नहीं कहा कि उटावड मे न खोले या उटावड की बजाए यहां खोलें । स्पीकर साहब, मैं तो यह चाहता हू कि अगर सी ०एम ० साहब महसूस करते हैं कि वहां खुले तो आपके पास डी ०ए ०वी ० वालों ने औफर दी है । आप उनकी जगह दे दें । वे खोल देंगे । क्या सरकार इसके लिए इजाजत देगी?

10.00 बजे

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, हाउस की जानकारी के लिये में बताना चाहता हू कि फरीदाबाद में लड़कियों के कालेज खोलने की मन्जूरी हमने दी है और हम बहुत जल्द ही खोलने जा रहे हैं । जैसे इन्होंने कहा कि वहां डिग्री नहीं होती, डिप्लोमा होता है और तनख्वाह में फर्क होता है । महोदय, मैं आपके माध्यम से इनको यह बताना चाहता हूं कि कोई भी सर्विस करने वाला व्यक्ति इतना भोला नहीं रहा । हर आदमी यह महसूस करता है कि उसे क्या तनख्वाह मिलनी चाहिये । जो आदमी वहां से डिप्लोमा वगैरह का कोर्स कर के निकलता है उसकी पहले ही एडवान्स बुंकिग हो जाती है कि आप हमारे पास सर्विस करिये । इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है और न ही इस संबंध में हमें आज हक किसी ने शिकायत ही की है । यह बात तो ठीक है कि डिप्लोमा और डिग्री में थोड़ा फर्क अवश्य होता है, इसमे कोई दो

राय नही है । इस को हम देख लेगे और इस के लिये हम यूरी कोशिश करके भारत सरकार को भी लिखेंगे । भारत सरकार जो कुछ करेगी और जो संभव होगा वह हम अवश्य लागू करेंगे ।

Primary health centre, Barwala

***1122. Chaudhri Inder Singh Nain : Will** the Minister of State for Health be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to convert the 8 bed primary health centre, Barwala into 30 bed primary health centre ; and

(b) if so, the time by which the aforesaid proposal is likely to materialise ?

Minister of State for Health and Ayurveda (Shrimati Kartar Devi):

(a) Yes, as a community health centre under the national health policy.

(b) During 1986-87.

चौधरी इन्द्र सिंह नैन : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया जी के उत्तर से मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं और उनका धन्यवाद करता हूं । उन्होंने मेरे अपने गांव हसनगढ की रूरल डिसपैन्सरी को पब्लिक हैल्थ सैन्टर में कंवर्ट कर दिया है । अध्यक्ष महोदय, कुल मेरा यह क्वैश्चन अन्त में लगा हुआ था और मैं कल ही इसके लिये धन्यवाद करना चाहता था । लेकिन आपने क्वैश्चन आवर ओवर कह दिया था और समय न मिलने के कारण

मैं उनका धन्यवाद न कर सका । आज आपने बोलने का समय प्रदान किया है, इसलिये मैं मन्त्री महोदया जी का धन्यवाद करता हूं । इसके साथ साथ मैं उन से नम निवेदन करूंगा कि सैशन के पश्चात् अगर वे इन दोनों हस्पतालों का मार्च में या अप्रैल में अपने कर कमलों द्वारा उदघाटन करें तो मैं और मेरे हल्के के मतदाता उनके इस उपकार के लिये आभारी होंगे ।

श्रीमती करतार देवी : अध्यक्ष महोदय, यह तो बाद में बैठ कर निश्चित कर लेंगे ।

तारांकित प्रश्न संख्या 1111

यह प्रश्न पूछा नहीं गया, क्योंकि इस समय माननीय सदस्य, श्री फतेह चन्द विज सदन में उपस्थित नहीं थे ।

United States Aid International Development Scheme

***1098. Shri Nihal Singh :** Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) whether any scheme/project is in force in the districts of Mahendergarh, Bhiwani and Sirsa under the United States Aid International Development Scheme as at present; if so, the achievement so far made under the said scheme/project ;

(b) the time upto which the said scheme/project is likely to continue in the aforesaid districts ;

(c) wheter there is any proposal under

consideration of the government to continue this scheme/project even after the aid given by the Government of India under the said scheme/project is discontinued ; and

(d) if the reply to part (c) above be in the negative, the steps, if any, proposed to be taken to absorb the staff appointed under the said scheme/project ?

स्वास्थ्य तथा आयुर्वेदा राज्य मन्त्री (श्रीमती करतार देवी) :

(क) हां, इस परियोजना के अन्तर्गत 31– 1–86 तक प्राप्त उपलब्धिया अनुलग्नक में दी गई हैं ।

(ख) 30–9– 1986 तक ।

(ग) नहीं फिर भी इस परियोजना के अन्तर्गत जो सुविधाएं तथा सेवाएं सृजित की गई हैं, वे परियोजना अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी राज्य सरकार द्वारा जारी रखी जायेगी ।

(घ) जहां तक संभव होगा अमले को खपा लिया जाएगा और इस संबंध में समय रहते पग उठाए जायेंगे ।

अनुलग्नक

भवन निर्माण (31– 1– 1986 तक)

(क) भवन जिनका निर्माणपूर्ण हो चुका है

1.	उप–केन्द्र	198
2.	एल० एच० वी० क्वार्टर्ज	97
3.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	3
4.	अपग्रेडिड प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	5
5.	एनैक्सीज	3
6.	ग्रामीण–परिवार कल्याण केन्द्र (नए)	6
7.	ग्रामीण 'परिवार कल्याण केन्द्र (आशिक)	–
8.	आप्रेशन थीयेटर्ज	9

(ख) भवन जिनकी फरवरी, 1986 के अन्त तक्र पूर्ण होने की सम्भावना है

1.	उप केन्द्र	2
2.	एल० एच० बी० क्वार्टर्ज	1
3.	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र (आशिक)	6
(II)	अन्य उपलब्धियां (31–1–1986 तक)	
1.	स्वास्थ्य रक्षक जो प्रशिक्षित किए गए	1303
2.	दाईया जो प्रशिक्षित की गई	1320

3.	उप केन्द्र जो खोले गए	222
4.	एम० पी० डब्लयू० (महिला) जो नियुक्त किए गए	222
5.	अटैण्डैंटस जो नियुक्त किए गए	222
6.	एल० एच०. वीज० जो नियुक्त. की गई	61
7.	एम० पी० डब्ल्यू० (मेल) जो नियुक्त किए गए	95
8.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो अपग्रेड किए गए	5

(III) प्रशिक्षण

परियोजना जिलों में कार्यरत सभी चिकित्सा – अधिकारियों प्रशिक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा कर्मियों को उनके ज्ञान का स्तर ऊंचा करने और उनकी कार्य कुशलता में सुधार लाने के उद्देश्य से संप्रेषण आवश्यक्ता मूल्यांकन तथा प्रशिक्षण आवश्यक्ता मूल्यांकन के माध्यम से उनकी अधूरी कार्य–कुशलता और ज्ञान का पता लगाकर उसमें प्रशिक्षण दिया गया ।

श्री कंबल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि इसी टाइप के प्रोजैक्ट दूसरे जिलों में यु० एस० एड के तहत खोलने की कोई आफर है?

अगर कोई ऐसी आफर सरकार के पास है तो सरकार कब तक दूसरे जिलों में प्रेसे प्रोजैक्ट खोलने का विचार रखती है । दूसरी बात स्टाफ के बारे में भी कही गयी । एड बन्द होने कई बाद क्या उनको उसी कैपै– सिटी में रखा जाएगा या उनको परमोट या डिमोट किया जाएगा?

श्रीमती करतार देवी : सर, जहां तक दूसरी जगहों पर परियोजना चालू करने का सवाल है, इस बारे में हरियाणा सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है कि कुछ जिलों में यह परियोजना चालू की जाए लेकिन भारत सरकार ने अभी तक अपने विचार व्यक्त नहीं किये हैं कि वे इस को करेंगे या नहीं करेंगे । जहां तक स्टाफ का ताल्लुक है कुछ तो जैसे ए ० एन० एम० वगैरह हैं वे तो पहले से फैमिली. वैल– फेयर में ही हैं । वे तो ऐसे ही चलते रहेंगे । लेकिन कुछ टैक्नीकल स्टाफ, जैसे कम्पयूटर या दूसरे सिस्टम वाले हमने लिये हैं, उनके बारे में भी यह कोशिश की जा रही है कि उन्हें उसी वेतनमान में हम एडजस्ट कर सकें ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, वैसे तो इस तरह की ट्रेनिंग हमारे हस्पतालों में भी देते हैं । मैं मन्त्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि डस प्रोजैक्ट में कौन सी खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है जो हमारे यहां से बिल्कुल अलग होती है और उसका फायदा हमें होता हो?

श्रीमती करतार देवी : सर, ट्रेनिंग तो कोई अलग नहीं हे लेकिन यू ०एस० एड के अन्दर जो स्कीम चल रही है उसमें बिल्डिग और प्रशिक्षण के लिये जो खर्चा है वह वहां से मिलता है ।

श्री कंवल सिंह : स्पीकर साहब, मेरे प्रश्न का सही और साफ उत्तर नहीं मिला है । पहला प्रश्न तो मेरा यह है कि क्या यू ०एस० एड के तहत दूसरे जिलों में कोई प्रोजैक्ट खोलने की आफर है? दूसरी बात मेरी स्टाफ के बारे में थी कि जो स्टाफ लिया जाएगा उसका स्टेटस उसी तरह मेनटेन किया जाएगा या नहीं?

श्रीमती करतार देवीं : सर, कुछ टैकनीकल पदों की जानकारी मुझे नहीं है लेकिन विशेष रूप से जो स्टाफ हमारे पास है, वह मल्टी परपज हैल्थ वर्कर मेल और फीमेल हैं । जैसे सुपरवाईजर्ज हैं, एल ० एच० वी० हैं । ये पोस्टें तो हमारे दूसरे जिलों में भी हैं । इस तरह के नैशनल प्रोग्राम भी हैं जिसके लिये उनकी सेवाएं कार्यरत हैं । जहां तक उठकी परमोशन का सवाल है वह उनको सीनियो रिटी के हिसाब से दी जाती है । स्टेट्स उनका वैसे का वैसा ही रहेगा।

Construction of 609 beds hospital in N.1.T. Faridabad

***1136. Shri A.C. Chaudhry :** Will the Minister of State for Health be pleased to state—

(a) whether it is a fact that the foundation stone

for the construction of 600 beds hospital for N.I.T. Faridabad (B.K. Hospital) was laid by the Chief Minister ; and

(b) if so, whether the construction of the said hospital has been started ; if not, the reasons therefor and the time by which it is likely to be started and completed ?

मुख्यमन्त्री (चौधरी भजन लाल) :

(क) जी नहीं । तथापि मैंने बी०के0 अस्पताल के साथ लगती नई भूमि पर 200 बिस्तर हस्पताल, फरीदाबाद के निर्माण की आधारशिला दिनांक 3 1—8— 1981 को रखी ।

(ख) जी नहीं। धन के अभाव के कारण केवल चार दीवारी का निर्माण हुआ है । धन उपलब्धि पर हस्पताल के भवन, रिहायशी क्वार्टरों सहित, का निर्माण आरम्भ किया जाएगा ।

श्री ए ० सी० चौधरी : स्पीकर साहब, फरीदाबाद में बी० के० हास्पीटल जिले में एक मात्र हास्पीटल है और उसमें मरीज 600 से ज्यादा रहे हैं । यह सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हें कह रहा हू । अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एक स्कीम को मंजूर किया, नई बिल्डिग के लिये बाउंडरी वाल बनायी और दो सौ बैडज का पुराने नार्मज के मुताबिक हस्पताल बनाने जा रही है । मैं यह जानना चाहता हू कि दिन प्रति दिन वहां की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए क्या सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है

कि अगर फ्यूचर में इस हास्पीटल की एक्सपैन्शन करनी हो तो हो सकेगी । क्या प्लान में सरकार ने इस तरह का स्कोप रखा है?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, चौधरी साहब की यह बात ठीक है कि फरीदाबाद की आबादी बहुत बढ़ी है । फरीदाबाद बहुत बड़ा कस्बा है । यहां का हास्पीटल काफी पहले का बना हुआ है । बिल्डिग भी बहुत अच्छी नहीं है । इसी बात को मद्देनजर रखते हुए दूसरी काह पर हमने नये हास्पीटल के लिये आधारशिला रखी है । चार दीवारी का काम भी शुरू हो गया है । अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यहां– बताना चाहता हूं कि वहां पर हैल्थ अधिकारियों की एक मीटिंग हुई । उस मीटिंग में अधिकारियों ने कहा कि जो पहले वाला हास्पीटल है, अगर उसकी अच्छे तरीके से मुरम्मत हो जाए तो इतनी' जल्दी नया भवन बनाने की आवश्यक्ता नहीं होगी । हमने पहले वाले हास्पीटल की बिल्डिग के लिये पैसा देकर उसको ठीक करवाया है । अच्छी तरह से मुरम्मत करवाई है । धन की उपलब्धि के बाद नई बिल्डिग पर भी काम चालू कर दिया जाएगा ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, सैक्टर 8 एक घनी आवादी से घिरा हुआ सैक्टर है। वहां पर सरकार ने अपनी प्लानिंग के मुताबिक एक हस्पताल की व्यवस्था कर रखी है और लोगों को जब वहां पर प्लाट्स दिये गये थे तो उनके रेट्स वगैरह भी उसी ढंग से फिक्स किये गये थे जिससे कि लोगो को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और उनको तमाम सूविधाएं भी

प्रदान की जा सकें । आज वह सैक्टर लगभग सारा आबाद हो चुका है । फरीदाबाद की आबादी आज लगभ न 5 लाख के करीब होगी । तो सरकार कब तक उस अधूरे पड़े हस्पताल के काम को पूरा करवा देगी? मेरी एक रिकवैस्ट है कि अगर सरकार के पास इस समय पूरे फण्डज अवेलेबल न हों तो क्या सरकार इस काम को इन–पार्टस फण्डज देकर पूरा करने के लिये गौर फरमाएगी और कब तक यह काम पूरा कर दिया जाएगा?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, कब तक यह काम पूरा हो जाएगा इसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता लेकिन जो समस्याएं इन्होंने यहां पर रखी हैं उनको अवश्य हम देखें गे और कोशिश करेंगे कि इ नकी तकलीफो को जल्द से जल्द दूर किया जाए ।

श्री ए ० सी ० चौधरी : स्पीकर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब ने चार दीवारी बनाने की बात कही थी और साथ ही यह कह दिया कि फण्डज की नान–अवेले– बिलिटी के कारण बिल्डिग का काम शुरू नहीं किया जा सका । मैं समझता हूं कि फाइनैशियल समस्या हो सकती है । क्या मुख्य मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस हस्पताल के स्पैशलिस्ट डाक्टरों के लये इस बाउ डरी के अन्दर मकान जल्दी बनाने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि सीरियस पेशैन्ट्स इन डाक्टरों की तलाश में घूमते रहते हैं । डाक्टरों के रहने के लिये हस्पताल के नजदीक कोई एकोमोडेशन न ही है । डाक्टर 10– 10, 15– 15 किलोमीटर की

दूरी पर रह ते हैं । इन डाक्टर्ज की सर्विसिज से जरूरतमन्द मरीज महरूम रह जाते हैं जिससे उनकी जानों को भी खतरा पैदा हो सकता है । तो क्या सरकार डाक्टर्ज के लिये इसी वित्त वर्ष में वहां मकान बनाने की कृपा करेगी ताकि मरीजों को उनकी सेवाओं का लाभ हो सके?

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात बिल्कुल ठीक है कि जो पुराने हस्थ ताल बने हुए हैं उनके साथ डाक्टरों के रहने के लिए क्वार्टर्ज नहीं हैं । आज की सरकार ने फैसला लिया है कि अब डाक्टरों के रहने के लिए क्वार्टर्ज पहले बनेंगे, हस्पताल चाहे बाद में बने । आपको पता है कि डाक्टर के पास मरीज तो किसी भी टाइम, आ सकता है और एक्सीडैट भी किसी टाइम हो सकता है । इस– लिये अब सरकार ने जितने भी हस्पताल बनाए हैं उनके साथ सब से पहले डाक्टरों के रहने के लिए क्वार्टर्ज बना कर दिए है ताकि लोगों को असुविधा न हो । जैसे ए० सी० चौधरी जी ने कहा कि वहां पर डाक्टर नहीं रहते, हम कोशिश करेंगे कि अगले साल जब हस्पताल का निर्माण कार्य शुरू करेंगे उसमें पहले डाक्टरों के रहने के लिए क्वार्टर्ज जरूर बनाएंगे ।

चौधरी लीला कृष्ण : मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि फतेहाबाद में 60 बैड का हस्पताल है, क्या वहां पर स्पैशलिस्ट डाक्टर मुहैया करने की कृप करेंगे?

श्रीमती करतार देवी : स्पीकर साहब, 60 बैड के हस्पताल के लिए जो नार्म्ज हैं उनके मुताबिक जो डाक्टर चाहिए होंगे, वे जरूर दिए जाएंगे ।

Conversion/Lining of out let R.D 26969 into minor

***1123. Chaudhri Inder Singh Nain :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under the consideration 'of the Government for conversion and lining of out let RD. 26060-L, Pabra Branch, into a minor; and

(b) if so, the time by which the said proposal is likely to materialise ?

(c) **Irrigation and Power Minister** (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala):

(a) Yes.

(b) The scheme is under investigation at present and will be finalised shortly.

चौधरी इन्द्र सिंह नैन : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो मन्त्री जी ने मेरे सवाल का उत्तर हां में दिया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूं । बरवाला में 23– 11–85 को लोगों ने मुख्य मन्त्री जी के सामने यह मांग रखी थी और इन्होंने अधिकारियों से कंसल्ट करके इसको स्वीकार किया था । केस तैयार होकर सरकार के. पास आ चुका है और रिकमैड भी हो चुका है । तो मैं यह जानना चाहूंगा कि यह कब तक फाइनेलाइज हो जाएगा?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैं इस बारे में बताना चाहता हूं और मैंबर साहब को कोई गल्तफहमी नहीं होनी चाहिए । पाबडा ब्रांच से एक आउट लैट आर० डी० 26060 लौफट के ऊपर में है । जो आउट लैट है इस पर 1.84 क्यूसिक डिस्चार्ज है और 780 एकड़ इसका एरिया है तथा 5–6 किलोमीटर इसकी लम्बाई है । इसके ऊपर जो पिछले तीन साल की एवरेज इरीगेशन है वह 143 प्रतिशत के करीब है । चूकिं वाटर कोर्स की लम्बाई बहुत है और यह कच्चा है इसलिये मेरा ख्याल यह था कि शायद किसानों को जरूर कोई दिक्कत होगी । इसके लिए किसानों की मांग तो यह है कि इस वाटर कोर्स को माइनर में तबदील कर दिया जाए । अगर हम इसको माइनर में तबदील करेंगे तब भी वही मुश्किल होगी क्योंकि इसका डिस्चार्ज बहुत कम है । तीन क्यूसिक तक के वाटर कोर्स पर 15 लाख रुपये खर्च होते हैं और फिर इसकी लम्बाई में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा । महकमे की राय के मुताबिक इसके दो और आल्टरनेटिव तरीके हैं । एक तो यह है कि सरसौद डिस्ट्रीव्यूटरी वहां से डेढ़ मील दूर पड़ती है, अगर ये चाहे तो वहां से पानी दे दें । दूसरे सुरबरा माइनर भी वहां से करीब डेढ़ मील ही दूर पड़ता है और उसका लैवल डेढ़ फुट हायर है, अगर ये कहें तो इस जमीन के लिए वहां से वाटर मिल सकता है । उसके लिए रुपए भी कम खर्च होंगे । इसलिये महकमे की यह राय है कि कोई और माइनर बनाना जरूरी नहीं है । जिस तरह से ये कहेंगे, हम करने के लिए तैयार हैं ।

चौधरी इन्द्र सिंह नैन : स्पीकर साहब, मैं इस बारे में इनसे पहले भी मिला था और अब फिर मिल लूंगा । इसमें प्वांयट यह है कि यहां पर सवाल खर्चे कौ– है । जमींदार मेरे से मिले थे और कहा था कि वाटर कोर्स की लाइनिंग अगर एम० आई० टी० सी० द्वारा की जाती है तो उसका शेयर होल्डर्ज पर भी खर्चा पड़ता है लेकिन अगर उसको माइनर में कनवर्ट कर दिया जाए तो सारा खर्चा सरकार करती है इसलिये मैं कह रहा था कि इसको खाल की बजाए माइनर में तबदील कर दिया जाए ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, लोगों को खर्चे की चिन्ता नहीं करनी चाहिए । जब बाकी लोग खर्चा देते हैं तो वहां के लोग भी दे सकते हैं । अब सवाल तो यह है कि यह वाटर कोर्स 6 किलोमीटर लम्बा है। अगर हम इसको माइनर बना देंगे तब भी इसकी लम्बाई इतनी ही रहेगी । फिर रास्ते में इसको मवेशी खराब करेंगे या कोई कट लगा लेगा । ये चाहें तो हम इस वाटर कोर्स को पक्का करवा देंगे ।

श्री बृज मोहन : स्पीकर साहब, खाल तो एम० आई० टी० सी० पक्के करती है और रजबाहों को लाइनिंग वाले पक्का करते हैं । कई बार इनमें कोआर्डिनेशन नहीं होती यानी रजबाहे बाद में पक्के होते हैं और खाल पहले पक्के हो जाते हैं । बाद में जब रजबाहे पक्के होते हैं तो खालों का लेवल ठीक नहीं रहता । खाल दोबारा बनाने में दिक्कत आती है । क्या मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि एम० आई० टी०सी० और लाइनिंग वालों में कोआर्डिनेशन

रखी जाएगी ताकि सरकार का खर्चा भी बच सके और किसानों को भी परेशानी न उठानी पड़े?

श्री अध्यक्ष : यह बहुत अच्छा सवाल किया है ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, मैं उल्टा इनसे आश्वासन चाहूंगा कि माननीय सदस्य लोकल अथारिटीज को यह प्रैस न करें कि वाटर कोर्स पहले बनाएं जाए । महकमें में कोआर्डिनेशन की दिक्कत नहीं है । हम डकट्ठा प्रोजैक्ट बना कर कोआर्डिनेशन से ही काम करते हैं और लैवल का पहले ही फैसला करतें हैं । कोई एक परसैटं ही ऐसे केस होंगे? जहां लैवल, में थोड़ा फर्क रह जाता है । जहां लेवल का बहुत फर्क होता है उसका कारण यही है कि लोकल अथा रिटीज पर प्रैशर डाला जाता है कि वाटर कोर्स को पहले पक्का किया जाए । बाकी ऐसा कोई केस नहीं होगा जहां बगैर पड़ ताल के वाटर कोर्स पक्का कर दिया हो ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, इस तरह की कई और भी स्कीम्ज हैं जो सैकंशंड हुई पड़ी हैं और उनमें ज्यादा अमाउंट भी इनवाल्वड नहीं है । मैं जानना चाहता हूं कि जिस स्कीम पर दो चार लाख रुपए का ही खर्चा हो क्या उसको बनाने में प्रैफरैंस दें गे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, जब हरियाणा बना था तब से लेकर पिछले पांच साल तक जब से यह

सरकार बनी है नई माईनर्ज बनाने का और माइनर्ज की एक्सटै शन करने का चार पांच गुणा काम ज्यादा हुआ है । मेरे कहने का मतलब है कि पिछले 14– 15 साल का जो पीरियड था उससे इस सरकार के बनने के बाद नई माइनर्ज बनाने का और माइनर्ज की एक्सटैंशन का चार पांच गुण काम ज्यादा हुआ है । चौधरी भले राम जी ने पि छले चार पांच साल में जिन माइनर्ज को बनाने के बारे में कहा था उनमें से एक भी ऐसी माइनर नहीं है जो या तो आलरेडी पूरी न कर दी हो या उस पर काम न हो रहा हो जो माइनर सैंक्शन कर दी, उस पर काम शुरू हो जाएगा । जहां तक पै से की बात का ताल्लुक है उस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि सरकार के पास अनलिमिटिड पैसे तो हो नहीं सकते फिर भी जो सीमित फण्डज हैं उनके मुताबिक सरकार का यह प्रयत्न है कि किसानों को इरीगेशन के मुतल्लिक जितनी भी ज्यादा से ज्यादा सहूलियते' मिल सकती हैं वह दी जाएं । ये सारी बातें सरकार हमदर्दी से करती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ।

चौधरी हनुमान सिंह : स्पीकर साहब, कल सिंचाई तथा बिजली मन्दी महोदय ने टच्यूबवैल्ज को बिजली का कनैक्शन देने के बारे में आज जवाब देने के लिए कहा था ।

श्री अध्यक्ष : यह तो नहरों के बारे में क्यैश्चन है ।

चौधरी हनुमान सिंह : उन्होंने आज जवाब देने के लिए कहा था । यदि माननीय मल्टी जी उस सवाल का जवाब दे सकते हैं तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी ।

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, ऐसा है कि मैंने उस बारे में पता किया था, जो मैंने बात कही थई वह कायदे कानून के हिसाब से ठीक थी । उस में इन्सट्रक्शन यह है कि जिस कि सी ब्लाक आफ लैड या चक आफ लैड में अगर एक जगह से दूसरी जगह पर किसी वजह से ट्यूबवैल शिफ्ट करना हो तो उसी प्रायर्टी पर ट्यू बवैल को बिजली का कनैक्शन देते हैं । अगर दूसरे ब्लाक में या दूसरी जगह पर ट्युबवैल शिफ्ट करना हो तो उसके, बिजली के कनैक्शन के लए नई एप्लीकेशन मांगते हैं । यदि कहीं पर इन इंस्ट्रक्शंज को को ई अधिकारी मौके पर इम्पलीमैंट न कर रहा हो तो उसके बारे में माननीय सदस्य हमें बताएं, हम उन अधिकारियो को इंस्ट्रक्शंज इम्पलीमैंट करने के लिए दोबारा कहेंगे ।

श्री नेकी राम : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री बृज मोहन सिंगला ने जहां तक तालमेल का सवाल किया उसका ताल्लुक महकमा नहर और महकमा पब्लिक हैल्थ से है । वाटर सप्लाई स्कीम के लिए नहर के अन्दर जो पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट के भोग लगते हैं उनका पीछे से लैवल ठीक होता है और आगे से ऊंचा कर दिया जाता क्रश । मेरे गांव प्रभुवाला के लोगों की शिकायत है कि मोगे का पीछे से लै वल ठीक है लेकिन आगे से

ऊंचा है । मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उस भोग का लै वल ठीक करवाया जाएगा । इसके अलावा मैं यह जानना चाहूंगा कि जितना पानी दो तीन गांवों की वाटर सप्लाई स्कीम के लिए देना होता है उतना पानी नही दिया जा रहा है । क्या पानी पूरा देने की कृपा करेंगे?

चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला : स्पीकर साहब, जिस तरह से किसान लोग मोगे के लिए एप्लाई करते हैं उसी तरह से पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैंट वाटर सप्लाई स्कीम के लिए, मोगे के लिए एप्लाई करता है और उसी तरह से इरीगेशन डिपार्ट– मैट उनको पानी देता है । जो भी रजबाहों को पक्का करने की नई स्कीम बन रही है उसमें चाहे उन्होंने मोगे के लिए एपलाई न भी किया हो लेकिन जितने गांव उस रजबाहे पर पड़ते हैं, रीच पर पड़ ते हैं,' उन सब की वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए रजबाहे में मोगे का प्रोवीजन कर रहे हैं । इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों मुख्य मन्त्री जी ने आदेश दिए हैं और सारी स्टेट के लिए' पालिसी निर्णय लिया है कि फ्यूचर में जितने भी रजबाडे पक्के किए जाएंगे, नहरें पक्की की जाएंगी या जितनी माइनर्ज पक्की की जाएंगी, उनके पानी की 30 पर– सैटं अधिक कैपेसिटी बना दे गे । यानी आगे के लिए जितने रजबाहे पक्के किए जाएंगे या नहरें पक्की की जाएंगी या माइनर्ज पक्की की जाएंगी उनकी पानी की 30 परसैटं ज्यादा कैपेसिटी क्रिएट करके बनाए जाएंगे ताकि चाहे पब्लिक हैल्थ डिपार्टमैट की मोरा की

डिमांड हो चाहे किसी और चीज के लिए भोगे की डिमांड हो वह पूरी हो सके ।

Mr. Speaker : Hon. Members, Questions are over.

अतारॉंकित प्रश्न एवं उत्तर

Water supply schemes in Sonepat Constituency

213. Shri Devi Dass : Will the Minister for Public Health be pleased to state—

(a) the names of villages of Sonepat Constituency where the water supply schemes have been functioning since January 1984 to December, 1985;

(b) the names of the villages of the said Constitueney where the water supply schemes were to be started uptill December 1985; and

(c) whether the schemes in the villages as referred to in part(b) above have since started functioning ; if not, the reasons thereof ?

जन–स्वास्पय मन्त्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी) :

(क) 6 गांव, जिनका विवरण नीचे दिया. गया है :–

1. सोनीपत (ग्रामीण)

2. कालुपुर

3. जमालपुर खुर्द

4. पिनियाना

5. सलारपुर माजरा

6. मोहाना

(ख) 14 गांव, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :–

1. संदल कलां

2. संदल खुर्द

3. शहजादपुर

4. थारिया

5. लहरारा

6. बैयनपुर

7. माहरा

8. चटाना

9. भाटना जफराबाद

10. खिजरपुर जाट

11. चाटिया औलिया

12. बरवन्सी

13. हुला–हेड़ी

14. किलरोड़

(ग) गांव क्रम संख्या 1 से 4 तक भाग (ख) संदल कलां गांव समुह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत आते हैं । इस जल प्रदाय योजना पर कार्य मई, 1985 में आरम्भ हुआ । जमीन का कुछ भाग जहां पर जलधर और इनलैट चौनल का निर्माण किया जाना था विवादास्पद था तथा इस विवाद को पुलिस की सहायता से ही अक्तूबर, 1985 में सुलझाया जा सका । अब यह जल प्रदाय योजना लगभग पूर्ण होने को है ।

गांव क्रम संख्या 5 और 6 भाग (ख) हरसाना कलां गांव समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत आते हैं । इस जल प्रदाय योजना पर वास्तविक कार्य मई, 1985 में आरम्भ हुआ तथा अब यह जल प्रदाय योजना लगभग पूर्ण होने को है ।

गांव क्रम संख्या 7, 8, 9 और 10 भाग (ख) की योजनाओं को भारत सरकार द्वारा त्वरित ग्रामीण जल वितरण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिसम्बर, 1985 में अनुमोदित किया गया । इन योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु भूमि का अभिग्रहण किया जा रहा है तथा कार्य शीघ्र ही आरम्भ किए जाने की संभावना गांव क्रम संख्या 11 भाग (ख) पंची जटा गांव समूह जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत आता है जो कि काफी समय पूर्व भारत सरकार

द्वारा अनुमोदित की गई थी । पंची जटा जल प्रदाय योजना के जगपर का कार्य तथा सभी गांवों में पाईप लाईन बिछाने का कार्य जिसमें गांव चाटिया औलिया भी सम्मिलित है, सम्पन्न किया जा चुका है । परन्तु यह योजना चालू नहीं की जा सकी क्योंकि इनलैट चौनल नहर से लेकर जलघर तक आम रास्ते के साथ बनाई जानी थी जिसमें एक कानूनी विवाद उत्पन्न हो गया था । काफी समय के कानूनी विवाद के उपरान्त अब विभाग भूमि अभिग्रहण के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार कर रहा है ।

जहां तक गांव क्रम संख्या 12, 13 तथा 14 भाग (ख) का संबंध है, इनमें जल सुविधाएं मार्च, 1985 से प्रदान की जा चुकी हैं ।

Opening of schools for handicapped

214. Shri Devi Dass : Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the government to open the schools and impart such education to the handicapped persons in each district of the State so as to enabling them for self-employment ; if so, the details thereof ?

उद्योग मन्त्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया) : सरकार के अधीन विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने के लिये राज्य के प्रत्येक जिले में स्कूल खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । परन्तु भारत सरकार ने हाल ही में एक जिला पुनर्वास केन्द्र का पायलेट प्रोजैक्ट जिला महेन्द्रगढ़ के लिये

स्वीकृत किया है । उक्त केन्द्र के माध्यम से विकलांगता की रोकथाम, जांच तथा उपचार, यंत्र– उपकरण, प्रशिक्षण तथा पुनर्वास आदि की सुविधायें जुटाई जायेंगी । इसके अलावा रोहतक तथा करनाल में एक एक जिला विकलांग केन्द्र मैडिकल कालेज, रोहतक तथा जिला रैड क्रास सोसाईटी, करनाल के माध्यम से उपरोक्त सुविधाएं देने के लिये स्थापित किया जा रहा हे ।

Expenditure incurred on handicapped persons

218. Shri Devi Dass : Will the Minister for Industries be pleased to state the total expenditure incurred by way of assistance given under various schemes to the handicapped persons in the State during the period from January, 1984 to December, 1985.

उद्योग मन्त्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया) : विकलांग व्यक्तियों को विभिन्न स्कीमों के अन्तर्गत सहायता देने हेतु सरकार द्वारा जनवरी, 1984 से दिसम्बर, 1985 तक 374. 73 लाख रुपए की राशि खर्च की गई, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है –

		लाख रु ०
1.	समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वयं संचालित स्कीमों विकलांग व्यक्तियों को पैशन, शिक्षित बेरोजगार विकलांग व्यक्तियों को बेरोजगारी भत्ता तथा विकलांग छात्रों को छात्रवृत्तियां देने	84.37

	पर खर्च की गई राशि	
2.	समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वयं संचालित राजकीय अंध विद्यालय पानीपत (नेत्रहीन लड़कों के लिए) तथा प्रौढ़ नेत्रहीन प्रशिक्षण केन्द्र सोनीपत जैसी नेत्रहीन संस्थाओं के माध्यम से दी गई सुविधाओं पर खर्च की गई राशि	28.49
3.	राज्यं में समाज सेवी संस्थाओं द्वारा विकलांगों के कल्याणार्थ लागू किए गए कार्यक्रमों हेतु सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता की राशि	63.87
	कुल योग	174.73

Construction of 4—Lane Road from Murthal to Ambala

219. Shri Devi Dass : Will the Minister for Public Works **(B. & R)** be pleased to state—

(a) whether it is a fact that a 4—lane road on National Highway No. 1 has since been completed from Delhi—Haryana border to Murthal ; and

(b) if reply to part (a) above be in the affirmative, whether the government has taken up the matter for the construction of a 4—lane road from Murthal to Ambala with the Government of India, if so, the result thereof ?

लोक निर्माण मन्त्री (श्री अमर सिंह) :

(क) जी हां । (ख) उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए 4 लेन सड़क के निर्माण का मामला भारत सरकार परिवहन 'मंत्रालय को भेजा गया था जिन्होंने 2 7— 1—86 को 42. 50 करोड़ रुपये की लागत पर राष्ट्रीय मार्ग नं ० 1 को मूरथल (कि० मी० 50) से करनाल (कि० मी० 130) तक 4 लेन करने की मंजूरी प्रदान की है । इस समय तक करनाल से अम्बाला तक (सिवाये कि० मी० 158 से 160 पिपली में तथा कि० मी० 178 / 500 से 180 / 725 शाहबाद में) 4 लेन के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है ।''

Harijan Chanpals

215. Master Ram Singh : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) the total number of Harijan Chaupals which were proposed to be constructed during the last 4 years ;

(b) the number of Harijan Chaupals out of those as referred to in part (a) above which have since been completed and those which are still under completion, separately ; and

(c) the time by which the Harijan Chaupals yet under construction are likely to be completed ?

उद्योग मन्त्री (श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया) :

(क) 1398

(ख) 1— 1०57 पूर्ण ।

2— 341 निर्माणाधीन ।

(ग) एक साल के अन्दर पूर्ण होने की आशा है ।

Inkwells in- the State

216. Master Ram Singh : Will the Minister for Irrigation- and Power be pleased to state—

(a) the total number of tubewells in the State which are supplying water for Irrigation purposes- as -at present ; and

(b) whether the tubewells, as referred to in part(a) above, are being supplied full required electricity ; not the reason thereof ?

सिचाई तथा बिजली मन्त्री (चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला) :

(क) 1458 कुल संख्या । यदि यह सूचना सीधे सिंचाई नलकूप से संबंध रखती है तो इसकी संख्यां 1458 है।

(ख) बिजली की उपलब्धता राज्य की आवश्कताओ तुलना में अपर्याप्त है ।

Persons registered with the employment exchanges

217. Mister Ram Singh : Will the Minister of State for Labour and Employment be pleased to state—

(a) the total number of persons-registered with the various employment exchanges in thee State as at present ; and

(b) whether any-time-limit has been fixed for issuing call letters to those persons who have got themselves registered with the employment exchanges ?

श्रम तथा रोजगार राज्य मन्त्री (श्री राजेश कुमार) :

(क) दिनांक 31– 12–85 को राज्य के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में 4,86,706 प्रार्थी पंजीकृत थे ।

(ख) रोजगार कार्यालय में पजीकृत प्रार्थियों को बुलावा पत्र जारी करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं । रोजगोर एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय नई' दिल्ली द्वारा निर्धारित नीति अनुसार प्रार्थियों का सम्प्रेषण अधिसूचित रिक्तियों के विरुद्ध पंजीकरण में उनकी प्रवर्ता के आधार पर किया जाता है ।

श्री भले राम : स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से कुछ कहना चाहता हूं । स्पीकर साहब, हरियाणा के अन्दर कई जगहों पर फ्लड की बड़ी भारी समस्या है । इस बजट में फल्ड के कामों के लिए साढे 14 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है । उसमें से शायद सरकार ने 3 करोड. रुपए एस०वाई० एल० नहर के निर्माण के लिए डिडक्ट किए हैं । यह भी अच्छी बात है क्योंकि एस०वाई०एल० नहर का निर्माण भी बहुत जरूरी है' लेकिन इसके– बावजूद चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला जी ने हाउस में

कहा था कि हमारे पास फण्डज अवेलेबल नहीं हैं बल्कि महकमे ने 50 लाख रुपए पिछले कामों के सरकार से लेने हैं । मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि इनके पास ज्यादा फण्डज नही हैं तो जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं उनको छोड़ा जा सकता है और जो छोटी छोटी स्कीमें हैं जोकि आगे आने वाले समय के लिए बहुत ही जरुरी हैं उन स्कीमों पर काम किया जाए । जहां पर अब भी फ्लड का पानी खड़ा है, उस पानी को निकालने के लिए सरकार को कोई न कोई प्रबन्ध जरुर करना चाहिए । एक बसि यह भी' कहना चाहूंगा कि अगली बरसात से पहले पहले फ्लड को कंट्रोल करने के बारे में सरकार को ड्रेनज वगैरह बनाने का काम अवश्य करना चाहिए । मेरे हल्के में एक वजीरपुर खण्डराई ड्रेन है । मैंने उस ड्रेन के बारे में चीफ इंजींनियर और एस० ई० साहब से डिस्कशन की थी । अब भी उस गांव में फ्लड का पानी खडा है । मेरे कहने का मतलब है कि फ्लड की रोक– थाम के लिँए जो भी छोटी छोटी स्कीमे हैं उनको पूरा कर दिया जाए । इनमें ज्यादा खर्चा इनवाल्व नहीं है । फ्लड की रोकथाम के लिए जो छोटी छोटी स्कीमें हैं उनकी तरफ आई०पी०एम० साहब को ध्यान देना चाहिए । आई० पी० एम० साहब तो कहते हैं कि हमारे पास फण्ड नहीं हैं । इसलिए मैं मुख्य मन्त्री जी से प्रार्थना करुंगा कि वे थोड़े से लिबरल हों ताकि आगे आने वाली बरसात के समय फ्लड पर कंट्रोल हो सके ।

श्री अध्यक्ष : आप कृपया बैठिए ।

नियम 15 के अधोग प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 15– के तहत– मोशन मूव करेंगे ।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, **I** beg to move—

That the proceeding on the items of business fixed for today be exempted at this day's. sitting from the proivisions of the Rule 'Sittings of the Assembly'.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the proceedings on the itmes of business fixed for today be exempted at this -day's sitting from the provision of the Rule Sitting of the Assembly', indefinitely.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

That the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly' indefinitely.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष : अब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर रूल 16 के तहत मोशन मूव करेंगे ।

Irrigation and Power Minister(Chaudhry

Shamsher Singh Surjewala): Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned Sine-die.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक के उठने पर साइने डाई ऐडजर्न होगी ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि असैम्बली अपनी आज की बैठक के उठने पर साइने डाई एडजर्न होगी ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सदन की मेज पर रखे कागज पत्र

(क) सचिव द्वारा

श्री अध्यक्ष : अब सेक्रेटरी विधान सभा आन दि फलोर आफ दि हाउस पेपर्ज ले करेंगे ।

Secretary : Sir, I beg to lay on the Table the Haryana Legislative Assembly (Disqualification of Members on Ground of Defection) Rules, 1986, framed by the Speaker, Haryana Legislative Assembly, in exercise of the powers conferred by paragraph 8 of the Tenth Schedule to the Constitution of India, as required under sub-paragraph (2) thereof.

(ख) सिंचाई तथा बिजली मन्त्री द्वारा

श्री अध्यक्ष : अब पार्लियामैंट्री अफेयर्ज मिनिस्टर मान दि. टेबल आफ दि हाउस पेपर्ज ले करेंगे।

Irrigation and Power Minister (Chaudhri Shamsher Singh Surjewala) : Sir, I beg to lay on the Table-

(i) The 7th Annual Report and Accounts of the Haryana Tuourism Corporation limited for the year ending 31-3-1981, as required under section 619-A of the Companies Act, 1956.

(ii) The 8th Annual Report and Accounts of the Haryana Tourism Corporation limited for the year ending 31-3-1982, as required under section 619-A, of the Companies Act, 1956.

समितियों की रिपोर्टस पेश करना

(1) पब्लिक अकांउटस कमेटी की 23वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : अब पब्लिक अकांउन्टस कमेटी के चेयरमैन, सेठ राम दास धमीजा, कमेटी की ईयर 1985–86 के लिए 23वी रिपोर्ट पेश करेंगे ।

Seth Ram Dass Dhamija (Chairman, Public Accounts Committee) : Sir, I beg to present the Twenty Third Report of the Committee on Public Accounts for the year 1985-86 on the Report of the Comptroller and Auditor General of India for the year 1981-82 (Civil and Revenue Receipts).

(2) एस्टीमेट्स कमेटी की 18वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : अब एस्टीमेटस कमेटी के चेयरमैन श्री विजय वीर सिंह, कमेटी की ईयर 1985–86 के लिए 18 वीं रिपोर्ट पेश करेंगे ।

Rao Vijai Vir Singh (Chairman, Committee on Estimates) : Sir, I beg to present the Eighteenth Report of the Committee on Estimates for the year 1985-86, in respect of Industries Department.

(3) कमेटी औन पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज की 20वीं तथा 21वी रिपोर्टस

श्री अध्यक्ष : अब पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज कमेटी के चेयरमैन, श्री फूल चन्द कमेटी की ईयर 1985–86 के लिये 20 वीं और 21 वीं रिपोर्ट पेश करेंगे ।

Chaudhri Phool Chand (Chairman, Committee on Public Undertakings) : Sir, I beg to present the Twentieth and Twenty First Reports of the Committee on Public Undertakings for the year 1985-86 on-

(i) The general working of Haryana Housing Board, Chandigarh ; and

(ii) The General woking of Haryana Backward Classes Kalyan Nigam Limited, Chandigarh.

respectively.

(4) कमेटी आन दि वैल्फेयर औफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिडयूल्ड ट्राइब्ज की 11वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : अब कमेटी औन दि वैल्फेयर आफ शिड्यूल्ड कास्टस एंड शिड्यूल्ड ट्राइज्ज के चेयरमैन चौधरी नेकी राम, कमेटी की 11वीं रिपोर्ट पेश करेंगे ।

श्री नेकी राम (चेयरमैन, कमेटी आन दि वेल्फेयर आफ शिड्यूल्ड कास्ट्स एंड शिड्यूल्ड ट्राइब्स) : अध्यक्ष महोदय, मे वर्ष 1935–86 के लिये अनुसूचित जातियों तथा जन जातियों के कल्याण के लिये समिति की 11वीं रिपोर्ट सदन में सादर प्रस्तुत करता हू ।

(5) कमेटी औन सर्बाडिनेट लैजिस्लेशन की 17वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : अब चेयरमैन कमेटी औन सबार्डिनेट लैजिस्लेशन श्री ए० सी० चौधरी, कमेटी की 17वीं रिपोर्ट पेश करेंगे ।

Shri A.C. Chaudhry (Chairman, Committee on Subordinate Legislation) : Sir, I beg to present the Seventeenth Report of the Committee on Subordinate Legislation for the year 1985-86.

(6) कमेटी ओन गवर्नमैंट अश्योरेंसिज जी 17 वीं रिपोर्ट

श्री अध्यक्ष : अब अश्योरेंसिज कमेटी के चेयरमैन श्री फतेह चन्द विज के बिहाफ पर कमेटी के एक माननीय सदस्य श्री अजमत खां कमेटी की 17 वीं रिपोर्ट श करेगें ।

Chaudhri Azmat Khan (Member, Committee on Government Assurances) : Sir, I beg to present the Seventeenth Report of the Committee on Government Assurances for the year 1985-86.

बिल्ज–

(1) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं ०1) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब फाईनैन्स मिनिस्टर, हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं ० 1) बिल, 1986 को इंट्रीडयूस और कंसिडर करने का मोशन मूव करेगे।

Finance Minister (Shri Sagar Ram Gupta) : Sir, I introduce the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, 1986.

I also move—

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

That the Haryana Appropriation (No. 1) Bill, be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज–बाई–क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज –2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज –3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिड्यूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि शिड्यूल बिल का शिड्यूल हो

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज – 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैर्क्टिग फारमूला बिल का अनैक्टिग फारमूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाये ।

Finance Minister (Shri Sagar Ram Gupta) : I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(2) दि हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं० 2) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब फाईनैन्स मिनिस्टर हरियाणा एप्रोप्रिएशन (नं ०2) बिल, 1986 को इंट्रोड्यूस और कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Finance Minister (Shri Sagar Ram Gupta) : Sir, I introduce the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, 1986.

I also move—

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Haryana Appropriation (No. 2) Bill, be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज– 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज – 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

शिडयूल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि शिडयूल बिल का शिडयूल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज– 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फारमूला बिल का अनैक्टिंग फारमूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाये।

Finance Minister (Shri Sagar Ram Gupta) : I beg to

move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया आये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि बिल पास किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(3) दि हरियाणा को–आप्रेटिव सोसाइटीज (अमैडमैंट) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार को–आप्रेशन हरियाणा को–आप्रेटिव सोसाइटीज (अमैंडमैंट) बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिये मोशन म्व करेंगे ।

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री प्यारा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा को–आप्रेटिव सोसाइटीज (अमैंडमैंट) बिल, पर तुरन्त विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana Co-operative Societies

(Amedment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है ।

That the Haryana Co-operative Societies (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज– 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लाज– 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 3 बिल का पाट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज– 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फारमूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री महोदय प्रस्ताव करेंगे कि बिल. पास किया जाये ।

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री प्यारा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि बिल पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(4) दि हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एण्ड वैलीडेशन) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब एक्साइज एण्ड टैक्सेशन मिनिस्टर हरियाणा जनरल सेल्ज टैक्स (अमैंडमैंट एण्ड वैलीडेशन) बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Excise and Taxation Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir, I beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Haryana General Sales Tax (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज माई क्लाज. विचार करेगा ।

क्लाज– 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पोर्ट वेंने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज– 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज–4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैंक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिग फारमूला बिल का अनैक्टिंग फारमूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

Excise and Taxation Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir. I beg to move—

That the bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(5) दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (ऐडौशनल फंक्शंज) अमैंडमैंट बिल, 1988

श्री अध्यक्ष : अब चीफ मिनिस्टर साहब दि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन (ऐडीशनल फंक्शन्ज) अमैंडमैंट बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

मुख्यमन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा लोक सेवा आयोग (अतिरिक्त कृत्य) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री भले राम (बड़ौदा, अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, पहले जिनकी बेसिक पे 350 रुपये होती थी उनका इन्टरव्यू पब्लिक सर्विस कमीशन लेता था लेकिन अब ऐसा किया जा रहाँ है कि जिनकी बेसिक पे 700 रुपये होगी उनका इन्टरव्यू

पब्लिक सर्विस कमीशन लेगा । स्पीकर साहब, मैंने गवर्नर ऐड्रैस पर बोलते हुए भी यह बात कही थी और अब मैं फिर रिपीट करता हूं कि शिड्च्ल्ड कास्टस की सिलैक्शन का जो सिस्टम है, मैथड है, वह उचित नही है । मुख्य मन्त्री जी 14 अप्रैल को रोहतक गए थे । वहां अम्बेदकर जंयती का जलसा था । मैंने वहां भी इनसे जिक्र किया था । क्या करते हैं कि फर्ज किया 100 कैंडिडेट्स सिलैक्ट करने हैं और शिड्च्ूल्ड कास्टस चाहे फर्स्ट डिविजनर हो या जनरल कैटेगरी में भी मैरिट पर आता हो तो 80 जनरल कैटेगरी से सिलैक्ट करके उसे 81वां नम्बर दिया जाता है जिससे उसकी प्रमोशन नहीं होती । जब वे 80 प्रमोट हो लेंगे उसके बाद उसका नम्बर पड़ेगा । मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है । पब्लिक सर्विस कमीशन में भी एस० एस० एस० बोर्ड की तरह ब्लौक सिस्टम होना चाहिए । उसके अनुसार, चार के बाद 5वीं और 8 के बाद 9वीं पोस्ट शिड्च्ूल्ड कास्टस को दी जाती है । मुझे यह बात ऐग्जैक्टली तो याद नही लेकिन मेरी यही प्रार्थना है कि इसमें थोड़ी सी अमैंडमैंट कर ली जाए और जिस तरह से ब्लौक सिस्टम एस० एस० एस० बोर्ड में है वैसा ही ब्लौक सिस्टम पब्लिक सर्विस कमीशन मे भी कर लिया जाए । स्पीकर साहब, कई साल पहले इरीगेशन महकमे में 100 के करीब एस० डी० ओज ० सिलैक्ट हुए थे । एक ही डेट में सिलैक्शन हुई थी लेकिन शिड्च्ूल्ड कास्टस को टेल पर रखा हुआ था और आज तक उनका प्रमोशन के लिये नम्बर नही आया । मुझे उम्मीद है कि मुख्य मन्त्री जी इस बात पर गौर करेंगे ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, चौधरी भले राम जी ने दो बातें कही हैं । पहली बात इन्होंने स्केल के बारे में कही । आप जानते हैं कि स्केल्ज अब काफी बढ़ गए हैं । बहुत पहले जो 350 का स्केल होता था वह अब बढ़ा करके 700 का किया गया है । बिल में अमैंडमैंट इसलिये की जा रही है ताकि बहुत नीचे लैवल के कर्मचारी इन्टरव्यू के लिए कमीशन के पास न जाए । जहां तक हरिजनों की सिलैक्शन का सवाल है, एस० एस० एस० बोर्ड में तो यह धै कि फर्ज किया 5 पोस्ट्स हैं तो 4 जनरल कैटेगरी को जाएगी और 1 हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज आदि 'को मिलेगी । उसके बाद बाकायदा रोस्टर बना हुआ है । मैं... समझता हूं कि पब्लिक सर्विस कमीशन में भी ऐसा ही होना चाहिए । मुझे इस बात का पक्का पता नहीं पक्का पता कर लूंगा । यदि कमीशन में ऐसा नहीं हुआ तो उनसे कहेंगे कि हरिजनों के कोटे के मुताबिक ही उनकी सिलैक्शन होनी चाहिए । (प्रशंसा)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Haryana Public Service Commission (Additional Functions) Amendment Bill, be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज –2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिग फारमूला बिल का अनैक्टिंग फारमूला हो
।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : अब चीफ मिनिस्टर साहब प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न हे –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(4) दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर औफ स्टेट फार ऐजुकेशन दि महर्षि दयानन्द यूनिवर्सिटी (अमैंडमैंट) बिल, 1986 को कंसीडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

Minister of State for Education (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Maharshi Dayanand University (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा –

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फारमूला बिल का अनैक्टिंग फारमूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

Minister of State for Education (Shri Jagdish Nehra) : Sir, I beg to move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(7) हि हरियाणा पब्लिक प्रैमसिज एन्ड लैड (एविक्शन एन्ड रैंट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार रेवेन्यू दि हरियाणा पब्लिक प्रेमसिज एन्ड लैन्ड (एक्विशन एण्ड रैन्ट रिकवरी) अमैंडमैंट बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे ।

Minister of State for Revenue (Shri Lachhman Dass Arora) : Sir, I beg to move—

That the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Haryana Public Premises and Land (Eviction and Rent Recovery) Amendment Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फारमूला बिल का अनैक्टिंग फारमूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाये ।

राजस्व राज्य मन्त्री (श्री लछमन दास अरोडा) : स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि बिल पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(8) दि पंजाब विलेज कौमन लैंडज (रैगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब डिवैल्पमैंट मिनिस्टर, दि पंजाब विलेज कौमन लैन्डज (रैगुलेशन) हरियाणा अमैंडमैंट बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे ।

Development Minister (Chaudhri Rajinder Singh) : Sir I beg to move—

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill: be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री नेकी राम (रतिया, अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, यह जो बिल है इसमें कौमन लैन्ड का जिक्र है, मैं उस बारे में कहना चाहता हूं । गांवों में ऐसी सिचुएशन है कि उस जमीन पर हरिजन बसे हुए हैं । अब अतीत में तो उनके पास कोई सम्पति नहीं थी सिर्फ आजादी मिलने के बाद उनके पास कुछ हुई है ।

श्री अध्यक्ष : सिर्फ हरिजन ही नहीं बसे हुए हैं बल्कि पंजाब के सिख भी बसे हुए हैं ।

श्री नेकी राम : जी हां । वे भी बहुत बसे हुए हें । आपने यह बात ठीक फरमायी है । मैं सदन के नेता से इस बारे में अश्योरैन्स चाहता हूं कि क्या उन्हें इसमें एग्जैम्पट करेंगे?

विकास मन्त्री (चौधरी राजेन्द्र सिह) : स्पीकर साहब, यह एग्रीक्लचर लैन्ड के बारे में है, दूसरी प्रौपर्टी के बारे में नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : नेकी राम जी का मतलब यही है कि जहां पर हरिजनों का कब्जा है या दूसरे लौगों का है क्या उन्हें कुछ सुविधा मिलेगी?

चौधरी राजेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, जो कानूनी तौर पर बात है उसके मुताबिक देंगे । यह कैसे हो सकता है कि कोई भी आकर कब्जा कर ले । चाहे वह हरिजन है, या जमींदार है या गैर जमींदार है, उसको कानून के. मुताबिक ही सुविधा दी जा सकेगी ।

श्री अध्यक्ष : उनका कहने का मकसद यही है कि क्या हरिजनों का लिहाज करेंगे कि उन्हें चार या पांच हजार रुपए में दे दे ।

चौधरी राजेन्द्र सिंह : वह तो करेंगे कि जिसने जमीन पर मकान बना रखा है, वह हमारे से खरीद सकता है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Punjab Village Common Lands (Regulation) Haryana Amendment Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि 'क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिग फारमूला बिल का अनैक्टिग फारमूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

विकास मन्त्री (चौधरी राजेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(9) दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब डिवैल्पमैंट मिनिस्टर दि हरियाणा रुरल डिवैल्पमैंट बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे' ।

Development Minister (Chaudhri Rajinder Singh) : Sir, I beg to move—

That the Haryana Rural Development Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana Rural Development Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Haryana Rural Development Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

सब क्लाज (2) आफ क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लाज (2′) आफ क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 5

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 6

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 6 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 7

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 7 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 8

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 8 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 9

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–'

कि क्लाज 9 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

क्लाज 10

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 10 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 11

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 11 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब क्लाज (1) आफ क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि सब क्लाज (1) आफ क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अनैक्टिंग फाब्ला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फारमूला बिल का अनैक्टिग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

विकास मन्त्री (चौधरी राजेन्द्र सिंह) : स्पीकर साहब, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(10) दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (सैकिंड अमैंडमैंट) बिल, 1986

11.00 बजे ।

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार कोआप्रेशन दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाईटीज (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे ।

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री प्यारा सिंह) : सर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि–

दि हरियाणा कोआप्रेटिव सोसाइटीज (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल पर तुरन्त विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हूआ–

That the Haryana Co-operative Societies (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Haryana Co-operative Societies (Second Amendment) Bill be be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 3 बिल कॉ पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 5.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 5 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 6

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 6 बिल कां पॉर्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 7

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 7 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 8

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 8 बिल का पार्ट वने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिग फारमूला बिले का अनैक्टिग फारमूला हो
।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाये ।

सहकारिता राज्य मन्त्री (श्री प्यारा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि बिल पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(9) दि हरियाणा अर्बन (कन्ट्रोल आफ रैंट एंड एविक्शन) अमेंडमैंट बिल 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार लोकल बौडीज, दि हरियाणा अर्बन (कन्ट्रोल आफ रैटं एण्ड एविक्शन अमैंडमैंट) बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे ।

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : सर, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा नगरीय (किराया और बेदखली नियन्त्रण) संशोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : मुझे श्री ए० सी० चौधरी की तरफ से इस क्लाज पर अमैंडमैंट का नोटिस मिला है, वे अपनी अमैंडमैंट प्रेजैटं करें ।

श्री ए० सी० चौधरी (फरीदाबाद) : स्पीकर साहब अमैंडमैंट पेश करने से पहले मैं सरकार का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । पंजाब का दि ईस्ट पंजाब अर्बन रैंट रिस्ट्रिक्शन (अमैंडमैंट) एक्ट, 1985 एज पब्लिशड इन एक्सट्राआर्डीनरी गजट नं० 7 एल० ई० जी०/85 डेटिड 16

नवम्बर, 1985 है । उसके तहत क्लाज 13 ए कड़ी इलैबोरेट है मैं यह मानकर चलता हूं कि अगर इसमें हरियाणा के हित की कोई बात है, उसे हाउस जरूर मान ले । अब में क्लाज 2 पर अपनी अमैंडमैंट मूव करता हूं –

That in sub-section (1) of section 13A of the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill 1986, after the words "retirement or discharge", the words"or within one year from the date of commencement of the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Act, 1986, whichever is later", be inserted.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That in sub-section (1) of section I3A of the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill 1986, after the words "retirement or discharge", the words"or within one year from the date of commencement of the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Act, 1986, whichever is later", be inserted.

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन को स्वीकृत किए जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है ।

That in sub-section (1) of section 13A of the Haryana Urban (Control of Rent and Eviction) Amendment Bill, 1986, after the words "retirement or discharge", the words "or within one year from the date of commencement of the Haryana Urban (Control of Rent and eviction) Amendment Act,

1986, whichever is later", be inserted.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न हैं –

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न हैं –

कि क्लाज 2, एज अमैंडिड, बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न हैं –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल को पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फारमूला बिल का' अनैक्डिग फारमूला हों ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न हैं –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल, एज अमैंडिड, पास किया जाये ।

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : मैं प्रस्ताव करता हूँ–

कि बिल, एज अमैंडिड, पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल, एज अमैंडिंड, पास किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल, एज अमैंडिड, पास किया आये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(12) दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैडमैंट) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार हाउसिंग दि हरियाणा हाउसिंग बोर्ड (अमैंडमैंट) बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे ।

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : सर, मैं प्रस्ताव करता हू–

कि हरियाणा आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाये ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill be taken into consi deration at once.

श्री भले राम (बड़ौदा, अनुसूचित जाति) : स्पीकर साहब, ऐसे है कि हमारा जो हाउसिंग बोर्ड है, वह फील्ड में 5 डिवीजनों में बंटा हुआ है । इन डिवीजनों? में एक– एक पोस्ट अकाउन्टैन्ट की होती हे । जब से यह हाउसिंग बोर्ड बना है तब से कभी भी ये पोस्टें एबौलिश या शिफट नहीं की गयी हैं । लेकिन जो कम्पीटैन्ट अथौरिटी है उसने अपनी पावर्ज का इस्तेमाल करके फील्ड की पोस्टों को हैड औफिस में बदल दिया । मेरी टेलीफोन पर बात हुई थी तो मुझे बताया गया कि ये लोग, बदली चाहते हैं । कोई कहता है कि मुझे फील्ड में बदल दो और कोई कहता है कि हैड औफिस में बदल दो । इसलिये हैड औफिस में

यह पोस्टें बदल दी हैं । स्पीकर साहब, महज बदली के लिये फील्ड से पोस्ट खत्म करना ठीक नहीं है । इस बारे में मैं मुख्य मन्त्री जी से मिला था । मेरा कहना यह है कि इस प्रकार का डिसीजन लेने से पहले और अपनी पावर्ज का इस्तेमाल करने से पहले गवर्नमैंट के नोटिस में यह चीज लानी चाहिए । फील्ड में बड़ा काम होता है, वहां अकाउन्टैन्ट की पोस्ट होनी चाहिए । स्पीकर साहब, आप रिपोर्ट निकलवा कर देख लें । उससे पता लग जाएगा कि हैड औफिस में इनकी कोई जरूरत नहीं है । अगर हैड औफिस में अकाउन्ट का काम ज्यादा हो, काम का रश हो तो ये पोस्ट्स हैड औफिस में होनी ठीक लगती हैं । मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इस फैसले को रिकसीडर किया जाए और फील्ड की पोस्टें फील्ड में ही रहनी चाहिएं ।

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : स्पीकर साहब, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं । ये अपनी बात अलग से लिख कर दे दें, हम उस पर विचार कर लेंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Haryana Housing Board (Amendment) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लाज 2, बिल का पार्ट बने!

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

कलाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फारमूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिग फार्मूला बिल का अनैक्टिग फारमूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे. कि बिल पास किया जाए ।

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : सर, मैं प्रस्ताव करता

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(13) दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट एंड वैलीडेशन) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब मिनिस्टर आफ स्टेट फार लोकल गवर्नमैंट दि हरियाणा म्युनिसिपल (अमैंडमैंट एंड वैलीडेशन) बिल, 1986 को कंसिडर करने के लिए मोशन मूव करेंगे ।

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : सर, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा नगरपालिका (संशोधन तथा विधिमान्यकरण) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana Municipal (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Haryana Municipal (Amendment and Validation) Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

सब–क्लाज (2) आफ क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब–क्लाज (2) आफ क्लाज 1 बिल का पार्ट बने । प्रस्ताव, स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सब–क्लाज (1) आफ क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब–क्लाज (1) आफ क्लाज 1 बिल का पार्ट' बनें
।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैमिंग फारमूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिग फारमूला बिल का अनैक्टिंग फारमूला हो
।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

स्थानीय शासन राज्य मन्त्री (श्री ओम प्रकाश महाजन) : सर, मैं प्रस्ताव करता

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(14) हि हरियाणा जनरल सैल्ज टैक्स (सैकिन्ड अमैंडमैंट) बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब ऐक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर दि हरियाणा जनरल सेल्स टैक्स (सैकिण्ड अमैंडमैंट) बिल, 1988 को कंसीडर करने के लिये मोशन मूव करेंगे ।

Excise and Taxation Minister (Chaudhri Katar Singh Chhokar) : Sir, I beg to move—

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Haryana General Sales Tax (Second Amendment)Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर अनाज बाई

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 3 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 4 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फारमूला बिल का अनैक्टिग

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

Excise and Taxaion Minister(Chaudhari Katar Singh Chhokar) : Sir, I move—

That the Bill be passed.

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

(15) दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलांउसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल, 1986

श्री अध्यक्ष : अब चीफ मिनिस्टर साहब दि हरियाणा लैजिसलेटिव असैम्बली (अलाउसिज एंड पैन्शन आफ मैम्बर्ज) अमैंडमैंट बिल 1986 को इन्ट्रोड्यूस और कंसिडर करने का मोशन मूव करेंगे ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं हरियाणा विधान सभा (सदस्य भला तथा पैन्शन) संशोधन विधेयक, 1986 प्रस्तुत करता हूं ।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं –

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य भला तथा पैन्शन) सं शोधन विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

That the Haryana Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Amendment Bill be taken into consideration at once.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब सदन बिल पर क्लाज बाई क्लाज विचार करेगा ।

क्लाज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 2 बिल का पोर्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

क्लाज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाज 1 बिल का पार्ट बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि अनैक्टिंग फारमूला बिल का अनैक्टिंग फारमूला हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाईटल बिल का टाईटल हो ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : अब मुख्य मन्त्री जी प्रस्ताव करेंगे कि बिल पास किया जाए ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव पेश हुआ –

कि बिल पास किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि बिल पास किया जाए ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष द्वारा धन्यवाद

श्री अध्यक्ष : साहेबान, इससे पहले कि मैं हाउस को साईने डाई एडजर्न करूं, मैं सब मैम्बर साहेबान का., प्रैस वालों का और आफिसर्ज साहेबान का बहुत बहुत मशकूर हूर । उन्होंने मुझे पूरी कोआप्रेशन दी है । जिस कारण से मैं इस हाउस को सुचारू और अच्छे ढंग से चला सका हू । इन अलफाज के साथ मैं एक बार फिर आप सब का धन्यवाद करता हूं ।

मुख्य मन्त्री (चौधरी भजन लाल) : अध्यक्ष महोदय, यह सारा सदन आपका भी बहुत आभारी है । जहां हम आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं वहां हम आपके सारे सेक्रेटेरिएट का, सारे कर्मचारियों का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने बहुत ही अच्छे

और शानदार तरीके से हाउस चलाने में सहयोग दिया है । आगे के लिये भी आप से हम यह आशा करते हैं कि आपका इसी तरह से हमें नेतृत्व मिलता रहेगा और आप इसी तरह से हाउस की गरिमा को कायम रखेंगे । अन्त में हम एक बार फिर आपका धन्यवाद करते हैं । जय हिन्द ।

श्री अध्यक्ष : अब हाउस साईने डाई एडजर्न होता है।

11. 24 बजे

(तत्पश्चात् सदन अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुआ)